PATRIOTIC IAS

CURRENT AFFAIRS

BIMONTHLY

(01 May to 15 May 2024)

INDEX

विषय **पृष्ठ सं।**

राजनीति और शासन

1. मौलिक अधिकार/DPSP/FD 3
2. संवैधानिक/वैधानिक/न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकाय 5
   - 2.1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 5
   - 2.2 बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) 5
   - 2.3 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) 5
   - 2.4 सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) 6
   - 2.5 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) 6
3. केंद्र-राज्य संबंध 7
4. 8 में कानून, अधिनियम और नियम
   - 4.1 मध्यस्थता अधिनियम, 2023 8
   - 4.2 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) 8
   - 4.3 चुनाव लड़ने के नियम 9
   - 4.4 स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 9
   - 4.5 धन का पुनर्वितरण 11

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. भारत-नेपाल संबंध 13
2. क्या रॉ के विदेशी ऑपरेशन से संबंधों पर असर पड़ेगा? 13
3. भारत के वैश्विक उत्थान और क्षेत्रीय पतन का विरोधाभास 15
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएँ 16
   - 4.1. विश्व आर्थिक मंच 16
   - 4.2 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) 17
   - 4.3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 17

भूगोल और आपदा प्रबंधन

1. चंद्रमा सबसे चमकीले तारे एंटारेस 19 को ढक रहा है
2. चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ की संभावना 19
3. दिल्ली रिज 19
4. कैटेटुम्बो बिजली: करंट की धार 20
5. मीठे पानी की खोज, संभवतः नया सोने का शिकार 20
6. 22 में स्थान

समाज और सामाजिक न्याय

1. आजीविका खामोश 24
2. एक सुविचारित अध्ययन और एक जनसांख्यिकीय मिथक 25
3. 'सप्तपदी' पर भ्रम दूर करना 27
4. 28 में मिशन और योजनाएं
   - 4.1 28 का अवलोकन
   - 4.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 30

Patriotic IAS (MAY)

4.3 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) 30
5. ईपीआई को 'टीकाकरण पर एक आवश्यक कार्यक्रम' बनाएं 31

अर्थव्यवस्था

1. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल 34
2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 34
3. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) 35
4. समाचार में कर 36
4.1 उत्तराधिकार कर 36
4.2 भूमि मूल्य कर 37
4.3 संपत्ति कर 37
4.4 उपकर 37
4.5. अधिभार 37
5. अमीरों को गरीब बनाये बिना गरीबों को अमीर बनाओ 37
6. क्रय प्रबंधक सूचकांक 39
7. भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 39
8. भारत अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है 41

पर्यावरण

1. कार्बन फार्मिंग क्या है? 42
2. जीवाश्म ईंधन नहीं, बल्कि सूक्ष्मजीव सबसे अधिक नई मीथेन उत्पन्न करते हैं
3. सतत विकास लक्ष्य 46
4. पर्यावरण प्रभाव आकलन 47
5. अन्य लघु समाचार 49
5.1 प्लास्टिक संधि 49
5.2 50 जून तक पशु संरक्षण विधेयक की मांग
5.3 विदेशी प्रजातियाँ 50
5.4 मालधारी पशुपालक: झुंड के संरक्षक 50

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) के पीछे के विज्ञान को समझना 51
2. मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) 52
3. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और खोजें 53
3.1 बोइंग स्टारलाइनर क्या है? 53
3.2 इसरो को चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ मिली 54
4. अन्य लघु समाचार 54
4.1 फोल्ड और दोष: अल्फा फोल्ड 3 54
4.2 केरल में वेस्ट नाइल बुखार के मामले 55
4.3 . भारतीय पेटेंट अधिनियम और इसकी चुनौतियाँ 55
4.4 परमाणु ऊर्जा 56

आंतरिक सुरक्षा

1. भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय 57
2. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 59

Patriotic IAS (MAY)

मिश्रित

1. **पद्म पुरस्कार** **61**
2. **फिल्म निर्माता संगीत सिवन का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया।**
3. **मेम्ब्रेनोफोन्स** **62**
4. **नियुक्तियाँ** **63**

Patriotic IAS (MAY)

राजनीति और शासन

1. मौलिक अधिकार/DPSP/FD:

1.1. संवैधानिक टकराव को सुलझाने का मौका :

- **चर्चा में क्यों** - प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव को सुलझाने का मौका है।
- यह मामला दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के इर्द-गिर्द घूमता है:
- **संविधान के अनुच्छेद 39(बी) में "समुदाय के भौतिक संसाधन" शब्द का क्या अर्थ है?**
- **क्या अनुच्छेद 39(बी) में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर आधारित चुनौतियों से मुक्त हैं?**
- दूसरा प्रश्न संविधान के भाग III और भाग IV के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालता है।
- भाग III मौलिक अधिकारों पर केंद्रित है, जबकि भाग IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) सूचीबद्ध हैं, जो राज्य के लिए लक्ष्य हैं।
- मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं, जबकि डी.पी.एस.पी. को आकांक्षात्मक उद्देश्य माना जाता है।
- दोनों पक्षों के बीच यह तनाव भारत के संवैधानिक इतिहास में एक आवर्ती विषय रहा है, जो विशेष रूप से 1970 के दशक के दौरान स्पष्ट हुआ, जब कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट देने के लिए संशोधन किए गए थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में बार-बार संघर्ष किया है।
- **1973 के** ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के बाद से मौजूद है। संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों के बावजूद, संविधान के इन दो हिस्सों के बीच तनाव कायम है।
- **प्रारंभ में, संविधान का पाठ स्पष्ट प्रतीत हुआ: अनुच्छेद 13 में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून अमान्य होंगे, जबकि अनुच्छेद 37 में कहा गया था कि डी.पी.एस.पी. अदालत में लागू नहीं होंगे, बल्कि उन्हें राज्य की नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए।**
- न्यायालय द्वारा दिए गए प्रारंभिक निर्णय, जैसे मोहम्मद **हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य (1958),** उन्होंने भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (DPSP) दोनों के महत्व पर जोर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि DPSP को लागू करते समय कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

अनुच्छेद 31सी का परिचय

- 1971 में, 25वें संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया **, जिसमें अनुच्छेद 31सी जोड़ा गया।**
- अनुच्छेद 31सी का उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था, विशेष रूप से अनुच्छेद 39(बी) और (सी) से संबंधित कानूनों को, जो भौतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने और धन के संकेन्द्रण को रोकने से संबंधित हैं।
- **अनुच्छेद 31सी में कहा गया है कि इन निर्देशों को लागू करने वाले कानूनों को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता, भले ही वे अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हों, जिनमें समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति और पेशे की स्वतंत्रता जैसी विभिन्न स्वतंत्रताएं शामिल हैं।**
- इसका अर्थ यह था कि भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून, जैसे मीडिया का राष्ट्रीयकरण, सामान्य भलाई या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चिंताओं पर आधारित कानूनी चुनौतियों से मुक्त हो सकते थे।
- इसका परिणाम यह हुआ कि संसद बिना इस डर के कानून बना सकती थी कि उन्हें अदालतें रद्द कर देंगी, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न करते हों।

PatrioticIAS (MAY)

- **केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले संशोधन अमान्य होंगे।**
- **न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने सात से छह के संकीर्ण बहुमत से अपनी राय में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत पर जोर दिया।**
- उन्होंने पाया कि यद्यपि **25वें संशोधन ने अनुच्छेद 39(बी) और (सी) से संबंधित कानूनों की जांच पर रोक लगाकर इस सिद्धांत का आंशिक रूप से उल्लंघन किया, लेकिन अनुच्छेद 14 और 19 पर आधारित चुनौतियों के संबंध में इसे बरकरार रखा गया।**
- दिलचस्प बात यह है कि अल्पमत न्यायाधीशों ने, जो मानते थे कि संसद के पास असीमित संशोधन करने की शक्ति है, 25वें संशोधन की वैधता का गहन मूल्यांकन नहीं किया।
- केशवानंद के फैसले से यह निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं हुआ कि क्या संशोधन, कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौतियों से छूट देने के कारण संविधान की मूल विशेषताओं का उल्लंघन करता है।

और अधिक परिवर्तन

- **1976 में, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31सी का विस्तार किया गया, जिससे न केवल अनुच्छेद 39(बी) और (सी) को बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए कानूनों को भी इसकी सुरक्षा प्रदान की गई।**
- हालाँकि, **1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया।**
- **मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़** इस बात पर जोर दिया गया कि मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 19 और 21) अप्रतिबंधित राज्य शक्ति के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं, और 42वें संशोधन ने इस संतुलन से समझौता किया।
- इस निर्णय ने अनुच्छेद 31सी की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए हैं: क्या यह 25वें संशोधन के बाद अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा, अमान्य किए गए भागों को छोड़कर, या इसकी वैधता अनिश्चित बनी रहेगी?
- **वामन राव बनाम भारत संघ मामले** में , न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ ने असंशोधित अनुच्छेद 31सी की वैधता को बरकरार रखा और सुझाव दिया कि अनुच्छेद 39(बी) और (सी) के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 14 और 19 के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
- हालाँकि, यह राय त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि सामान्य भलाई को बढ़ावा देने वाले कानून संभावित रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं, जैसा कि प्रिंटिंग प्रेस के राष्ट्रीयकरण जैसे परिदृश्यों में देखा गया है।
- में **, सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे कानून की वैधता का मूल्यांकन करेगा जो राज्य सरकार के बोर्ड को कम से कम 70% निवासियों की सहमति से जीर्ण-शीर्ण इमारतों का नियंत्रण लेने की अनुमति देता है** ।
- न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या यह कानून अनुच्छेद 39(बी) के अनुरूप है। यदि ऐसा है, तो सवाल उठता है कि क्या इस कानून की अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर भी जांच की जा सकती है, जो क्रमशः समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

एक अवसर

- **25वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 31सी** पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अभी भी कोई निश्चित विश्लेषण नहीं हुआ है।
- अनुच्छेद 31सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए कानूनों और कुछ मौलिक अधिकारों की चुनौतियों से उनकी छूट से संबंधित है।
- अनुच्छेद 31सी पर स्पष्टता की कमी के कारण मौलिक अधिकारों और डी.पी.एस.पी. के बीच संघर्ष जारी है।
- संपत्ति मालिकों का मामला सर्वोच्च न्यायालय के लिए इस विवाद को सुलझाने तथा अनुच्छेद 31सी की संवैधानिकता पर स्पष्टता प्रदान करने का अवसर प्रस्तुत करता है।
- संपत्ति मालिकों के मामले में एक निर्णायक फैसला संविधान की मौलिक गारंटियों को मजबूत कर सकता है।

PoliticIAS(MAY)

2. संवैधानिक/सांविधिक/न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकाय:

2.1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):

- **संरचना –** अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य
- अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए तथा सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति होने चाहिए।
- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा, आयोग में **चार पदेन सदस्य भी हैं** , जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं।
- **कार्यकाल** - अध्यक्ष और सदस्य **पांच वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक** , जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। अपने कार्यकाल के बाद, अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के तहत **आगे की नौकरी के लिए पात्र नहीं होते हैं।**

2.2. बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया):

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय** ।
- व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार के **मानक निर्धारित करता है , तथा बार पर अनुशासनात्मक अधिकारिता का प्रयोग करता है** ।
- **कानूनी शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है** और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री छात्रों को स्नातक होने पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए योग्य बनाती है।
- भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए आवश्यक, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (सीओपी) प्रदान करने के लिए **अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) आयोजित करता है ।**
- आर्थिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से विकलांग अधिवक्ताओं के लिए **कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करना ।**
- **संरचना:** बीसीआई में प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से चुने गए सदस्य होते हैं, तथा भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल इसके पदेन सदस्य होते हैं। परिषद अपने सदस्यों में से दो वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।

2.3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) :

- **श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वैधानिक निकाय** ।
- **1951-52 में पारित** कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के साथ हुई थी ।
- **ईपीएफओ क्या करता है?**
- ईपीएफओ भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जिनमें शामिल हैं:
- **कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना:** यह योजना कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति बचत प्रदान करती है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही **कर्मचारी के मूल वेतन का 12%** इस निधि में योगदान करते हैं।
- **कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस):** यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती है।
- **कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना:** यह योजना सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उन्हें बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- **ईपीएफओ योजनाओं के लिए कौन पात्र है?**
- प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी **ईपीएफओ** योजनाओं के लिए पात्र हैं।
- इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी।
- **मैं अपने ईपीएफ खाते तक कैसे पहुंच सकता हूं?**

Patriotic IAS (MAY)

- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके ईपीएफ खाते तक ऑनलाइन पहुंचा जा सकता है ।
- यूएएन एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो ईपीएफओ योजनाओं के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कर्मचारी को दी जाती है।

२.४. सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड):

- संसद के अधिनियम, **सेबी अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित वैधानिक नियामक निकाय** ।
- **मुख्यालय:** मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
- **क्षेत्रीय कार्यालय** : दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद।
- **उद्देश्य और अधिदेश:** सेबी भारतीय वित्तीय बाजारों में तीन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति करता है:
- **निवेशक संरक्षण:** निष्पक्ष व्यवहार और पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रतिभूति बाजार में भाग लेने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
- **बाज़ार विकास:** प्रतिभूति बाज़ारों के विकास को बढ़ावा देना, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, तथा दक्षता बढ़ाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना।
- **विनियमन:** स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, दलालों, मर्चेंट बैंकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और अन्य बाजार प्रतिभागियों के परिचालन को विनियमित करना।

2.5 . राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI):

- यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा इसका एक विश्वसनीय साझेदार है।
- इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय, यूएनडीपी और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ-साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं।
- **मिशन:** पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) को एकजुट करना, बढ़ावा देना और मजबूत बनाना तथा मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में नेतृत्व प्रदान करना।
- **स्थापना:** 1993 (मूल रूप से एनएचआरआई की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में)।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

संरचना और शासन

- GANHRI एक सदस्यता-आधारित संगठन है जिसकी वैश्विक पहुंच है।
- इसकी प्रशासनिक संरचना में एक ब्यूरो शामिल है, जिसमें 16 ए-स्टेटस एनएचआरआई शामिल हैं, जो GANHRI के चार क्षेत्रों (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया प्रशांत और यूरोप) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय GANHRI के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध

- GANHRI एक अद्वितीय गैर-संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसकी आंतरिक मान्यता प्रणाली, पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन पर आधारित है, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितियों तक पहुंच प्रदान करती है।
- इसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय, यूएनडीपी और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ घनिष्ठ कार्य संबंध है

Patriotic IAS (MAY)

3. <u>केंद्र-राज्य संबंध:</u>

3.1 <u>क्या मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने पर भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं?</u>

- संविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या कोई व्यक्ति रिमांड कैदी रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3)** के अनुसार, अगर कोई विधायक या सांसद दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम दो साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालाँकि, केजरीवाल को अभी तक इस मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है।
- **हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस पद के धारक के लिए सुलभ और उपस्थित रहना आवश्यक है** ।
- अदालत ने इस बात पर जोर दिया **कि यह सुनिश्चित करना राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में है कि मुख्यमंत्री लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए अनुपस्थित या अनुपलब्ध न रहें।**

3.2 <u>राष्ट्रपति शासन (दिल्ली)</u>

- **संविधान के अनुच्छेद 239AB के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।**
- दिल्ली की सत्ता संरचना में निर्वाचित सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के बीच एक नाजुक संतुलन कायम है।
- यदि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं और प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालते हैं, तो उपराज्यपाल **"संवैधानिक तंत्र की विफलता" का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से अनुच्छेद 239एबी लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं।**
- **दिल्ली में अनुच्छेद 239AB के तहत राष्ट्रपति शासन इससे पहले एक बार 2014 में लागू किया गया था, जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के सिर्फ 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया था**

3.3 <u>राज्यपाल/राष्ट्रपति को उन्मुक्ति</u>

- भारतीय **संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल** को दी गई **उन्मुक्ति से संबंधित है** , जो उन्हें **आपराधिक कार्यवाही और गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है** ।
- अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल " अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने का तात्पर्यित किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के **प्रति उत्तरदायी नहीं** होंगे।"
- **अनुच्छेद 361(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति** और **राज्यपाल के खिलाफ** न्यायालय में आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। लेकिन, एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है। इसलिए तकनीकी रूप से **पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है** ।
- उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामले** में संविधान द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रदान की गई **उन्मुक्ति को बरकरार रखा है** और कहा है कि **" कानून में स्थिति यह है कि राज्यपाल को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।**

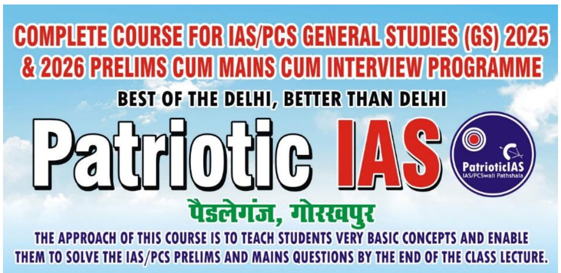

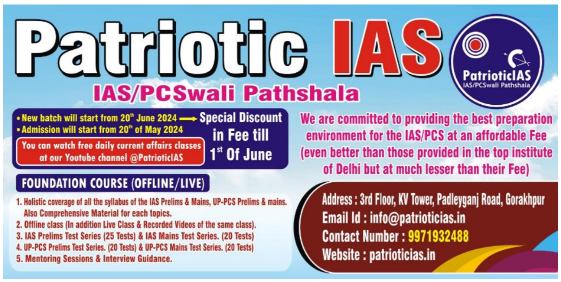

Patriotic IAS (MAY)

4. कानून, अधिनियम और नियम

4.1 मध्यस्थता अधिनियम, 2023:

- यह भारत में एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना और उसे सुविधाजनक बनाना है। यहाँ मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है:

उद्देश्य

- संस्थागत मध्यस्थता, मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता और सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देना।
- घरेलू मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करना।
- मध्यस्थों और मध्यस्थता संस्थाओं के पंजीकरण के लिए एक नियामक निकाय की स्थापना करना।

प्रमुख विशेषताऐं

- **अनुप्रयोग:** यह अधिनियम वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक विवादों पर लागू होता है।
- **मध्यस्थता समझौता** : मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच लिखित समझौता आवश्यक है। यह अनुबंध में एक खंड या एक अलग समझौता हो सकता है।
- **मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता** : पक्षों को अदालत जाने से पहले मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहित करती है।
- गोपनीयता: मध्यस्थता कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखी जाती है।
- **मध्यस्थ नियुक्ति:** पक्षकार स्वयं अथवा मध्यस्थता सेवा प्रदाता के माध्यम से मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं।
- **भारतीय मध्यस्थता परिषद:** मध्यस्थों और मध्यस्थता संस्थाओं को विनियमित करने के लिए स्थापित।

फ़ायदे

- मुकदमेबाजी की तुलना में विवाद समाधान अधिक तीव्र एवं लागत प्रभावी होता है।
- विवाद के परिणाम पर पक्षों का अधिक नियंत्रण होता है।
- पूरी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखी जाती है।

4.2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी)

- **भारतीय संसद द्वारा 2016 में अधिनियमित कानून।**
- **समेकित ढांचा : यह कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों सहित** विभिन्न संस्थाओं के लिए **दिवालियेपन और दिवालियापन** से निपटने के लिए एक एकीकृत ढांचा स्थापित करता है ।
- **समयबद्ध प्रक्रिया: इसका उद्देश्य एक विशिष्ट समय-सीमा, आमतौर पर 180-330 दिन ,** के भीतर दिवालियापन कार्यवाही को हल करना है , जिसमें कुछ शर्तों के तहत विस्तार की संभावना भी शामिल है।
- आईबीसी ऋणदाताओं, कर्मचारियों और कंपनी सहित सभी हितधारकों के लाभ के लिए देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने को प्राथमिकता देता है।
- **उद्यमशीलता को बढ़ावा:** व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करके, IBC का उद्देश्य एक स्वस्थ उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है।
- **ऋण उपलब्धता:** अधिक कुशल दिवालियापन प्रणाली वित्तीय बाजारों में विश्वास को बढ़ावा देती है, जिससे व्यवसायों के लिए ऋण तक आसान पहुंच हो जाती है।
- **हितधारक संतुलन:** आईबीसी दिवालियापन प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है।

Patriotic IAS (MAY)

4.3 चुनाव लड़ने वाली सीटों के नियम:

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951** के अनुसार , **एक उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने पर वह केवल एक ही सीट पर कब्जा कर सकता है।**
- **1996 में शुरू की गई जन प्रतिनिधि अधिनियम की उप-धारा 33 (7) उम्मीदवारों को दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है।**
- हालाँकि, **इसी अधिनियम की धारा 70 में कहा गया है कि एक उम्मीदवार एक समय में केवल एक ही सीट पर कब्जा कर सकता है, यदि वह दो सीटों से जीतता है तो उपचुनाव की आवश्यकता होगी।**
- **पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने** बार-बार उपचुनाव की आवश्यकता के कारण कई सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का विरोध किया ।
- **भारत के चुनाव आयोग और विधि आयोग** दोनों ने उम्मीदवारों को केवल एक सीट से चुनाव लड़ने तक सीमित करने के लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम में और संशोधन का प्रस्ताव रखा ।
- गोपालस्वामी ने इस परिवर्तन को लागू करने में कठिनाई का उल्लेख किया, क्योंकि **राजनेता उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या कम करने का समर्थन करने की संभावना नहीं रखते हैं।**
- **विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए व्यक्ति भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है।**
- **असम, लक्षद्वीप और सिक्किम में कुछ अपवाद** हैं , जहाँ चुनाव लड़ने के लिए विशिष्ट निवास आवश्यकताएं लागू होती हैं।

4.4. स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम:

- स्ट्रीट **वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम** 1 मई 2014 को प्रभावी हुआ।
- इसे एक प्रगतिशील कानून माना गया है, **जिसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं के अधिकारों और आजीविका की रक्षा करना है।**
- अधिनियम के अधिनियमित होने के बावजूद, अब इसे कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- केवल कानून पारित करने से भारतीय शहरों में सड़क विक्रेताओं की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी नहीं मिलती।
- अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में कमियां रही हैं।

कानून के प्रावधान

- सड़क विक्रेता **किसी भी शहर की आबादी का लगभग 2.5% हिस्सा होते हैं** और शहरी जीवन में विविध भूमिकाएं निभाते हैं।
- वे सब्जियां और भोजन बेचने जैसी आवश्यक दैनिक सेवाएं प्रदान करते हैं **, तथा प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए एक सतत आय स्रोत प्रदान करते हैं।**
- सड़क विक्रेता उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करके शहरी जीवन को किफायती बनाने में योगदान देते हैं।
- वे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, जिनमें मुम्बई में वड़ा पाव और चेन्नई में डोसा जैसे प्रतिष्ठित स्ट्रीट फूड शामिल हैं।

Patriotic IAS (MAY)

- स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 का उद्देश्य शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग के महत्व को स्वीकार करना था।
- इस **कानून का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग को संरक्षित और विनियमित करना है, तथा राज्य स्तरीय नियम बनाना तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा क्रियान्वयन करना है।**
- यह विक्रेताओं और सरकार के विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- यह अधिनियम सभी मौजूदा विक्रेताओं को निर्दिष्ट विक्रय क्षेत्रों में स्थान देने तथा विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **यह टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) के माध्यम से भागीदारीपूर्ण शासन स्थापित करता है, जहां स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों की संख्या 40% होती है।**
- **टीवीसी में महिला स्ट्रीट वेंडर्स के** लिए 33% प्रतिनिधित्व का प्रावधान है ।
- टीवीसी वेंडिंग जोन में सभी मौजूदा विक्रेताओं को शामिल करना सुनिश्चित करते हैं और **न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता वाली शिकायत निवारण समितियों जैसे तंत्रों के माध्यम से शिकायतों का समाधान करते हैं।**
- सैद्धांतिक रूप से, यह अधिनियम शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण की मिसाल कायम करता है।

तीन व्यापक चुनौतियाँ

- **प्रशासनिक चुनौतियाँ:**
  - संरक्षण पर जोर देने के बावजूद उत्पीड़न और बेदखली में वृद्धि।
  - पुरानी नौकरशाही मानसिकता.
  - अधिकारियों और विक्रेताओं में जागरूकता की कमी।
  - विक्रेता प्रतिनिधियों का सीमित प्रभाव।
- **शासन संबंधी चुनौतियाँ:**
  - कमजोर शहरी शासन तंत्र।
  - शहरी प्रशासन ढांचे के साथ एकीकरण का अभाव।
  - शहरी स्थानीय निकायों में शक्तियों और क्षमताओं का अभाव है।
  - विक्रेता समावेशन की अपेक्षा बुनियादी ढांचे पर ध्यान केन्द्रित करें।
- **सामाजिक चुनौतियाँ:**
  - बहिष्कारपूर्ण 'विश्व स्तरीय शहर' की छवि.
  - विक्रेताओं का हाशिए पर जाना और उन पर कलंक लगाना।
  - विक्रेताओं को आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में मान्यता न देना।
  - शहर के डिजाइन और नीतियों में प्रतिबिंबित।

आगे का रास्ता

- **कार्यान्वयन समर्थन:**
  - प्रारंभ में ऊपर से नीचे की दिशा की आवश्यकता होती है।
  - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय प्रबंधन प्रदान कर सकता है।

Patriotic IAS (MAY)

- प्रभावशीलता के लिए समय के साथ विकेन्द्रीकरण।
- **पीएम स्वनिधि** एक सकारात्मक उदाहरण है।

- **विकेंद्रीकरण की आवश्यकता:**
  - प्रभावी योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है।
  - विभाग-नेतृत्व वाली कार्रवाइयों से टीवीसी-स्तरीय विचार-विमर्श की ओर बढ़ें।
  - स्ट्रीट वेंडिंग को शामिल करने के लिए शहरी योजनाओं, योजना दिशानिर्देशों और नीतियों में संशोधन करें।

- **नइ चुनौतियां:**
  - विक्रेताओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव.
  - विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि.
  - ई-कॉमर्स से प्रतिस्पर्धा.
  - आय में कमी.

- **प्रावधानों का रचनात्मक उपयोग:**
  - अधिनियम के कल्याणकारी प्रावधानों का रचनात्मक उपयोग करें।
  - सड़क विक्रेताओं की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलन करना।

- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:**
  - सड़क विक्रेताओं के लिए उप-घटक को बदलती वास्तविकताओं के अनुकूल होना होगा।
  - आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन उपायों को सुगम बनाना।

- **सीख सीखी:**
  - स्थान, शहरी श्रमिकों और शासन का जटिल परस्पर संबंध।
  - कानून बनाने और उसे लागू करने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है।

4.5 धन का पुनर्वितरण:

- सुप्रीम कोर्ट ने नौ न्यायाधीशों की पीठ गठित की।
- **उद्देश्य: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) की व्याख्या करना।**
- विशेष रूप से भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के संबंध में।

संविधान क्या प्रावधान करता है?

- संविधान **की प्रस्तावना** सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की मांग करती है।
- **संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है** ।
- **DPSP सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने पर केंद्रित है** ।
- **मौलिक अधिकारों के विपरीत, डी.पी.एस.पी.** अदालत में लागू नहीं होता है, लेकिन शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

Patriotic IAS (MAY)

- **डी.पी.एस.पी. के अनुच्छेद 39(बी) और (सी) का उद्देश्य** सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधनों का वितरण करके और धन के संकेन्द्रण को रोककर आर्थिक न्याय स्थापित करना है।

ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?

- प्रारंभ में, संविधान ने **अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी थी** और अनुच्छेद 31 के तहत राज्य को संपत्ति अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता थी।
- भूमि सुधार और सार्वजनिक परिसंपत्ति निर्माण के कारण सीमित सरकारी संसाधनों के कारण संपत्ति के अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले संशोधन हुए।
- संशोधनों ने लोक कल्याण उद्देश्यों के लिए **संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया ।**
- **सर्वोच्च न्यायालय के मामले, गोलक नाथ (1967), केशवानंद भारती (1973) और मिनर्वा मिल्स (1980) सहित, ने मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन की व्याख्या की** ।
- केशवानंद **भारती मामले में अनुच्छेद 31सी को बरकरार रखा गया,** लेकिन इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया, तथा मौलिक अधिकारों और डी.पी.एस.पी. के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन पर जोर दिया गया।
- में **44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तथा** मुकदमेबाजी को कम करने के लिए इसे **अनुच्छेद 300ए के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।**
- निजी संपत्ति के अधिकार महत्वपूर्ण बने हुए हैं, तथा राज्य अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए तथा इसके लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

वर्तमान बहस क्या है?

- स्वतंत्रता के बाद , भारत ने भूमि अधिग्रहण और बैंकिंग और बीमा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के कानूनों के साथ **समाजवादी आर्थिक मॉडल का पालन किया ।**
- **उच्च कर,** जैसे 97% तक प्रत्यक्ष कर, संपदा शुल्क और धन कर, का उद्देश्य असमानता को कम करना था, लेकिन इससे विकास अवरुद्ध हुआ और कर चोरी को बढ़ावा मिला।
- के दशक में बाजार की शक्तियों को सशक्त बनाने और दक्षता में सुधार लाने के लिए **उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की ओर बदलाव देखा गया ।**
- सुधारों में एमआरटीपी अधिनियम को निरस्त करना, आयकर दरों को कम करना, तथा 1985 में संपदा शुल्क तथा 2016 में संपत्ति कर को समाप्त करना शामिल था।
- बाजार संचालित अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक विकास और गरीबी में कमी आई, लेकिन असमानता भी बढ़ी, शीर्ष 10% के पास 65% संपत्ति और 57% आय थी।
- भौतिक संसाधनों के संबंध में **अनुच्छेद 39(बी) के अंतर्गत आते हैं ।**

आगे बढ़ने का रास्ता?

- असमानता केवल भारत में ही नहीं, बल्कि उदारीकृत खुले बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी एक वैश्विक मुद्दा है।
- सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करे जो राज्य के समर्थन पर निर्भर हैं।
- उच्च कर दरें, संपदा शुल्क और संपत्ति कर जैसी पिछली नीतियों से वांछित लक्ष्य हासिल नहीं हुए, बल्कि आय और संपत्ति को छिपाने में वृद्धि हुई।
- नवप्रवर्तन और विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए, लेकिन लाभ सभी वर्गों, विशेषकर हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचना चाहिए।
- नीतियों पर बहस होनी चाहिए और उन्हें वर्तमान आर्थिक मॉडल के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

Patriotic IAS (MAY)

- सर्वोपरि लक्ष्य सभी के लिए आर्थिक न्याय है, जैसा कि संविधान में रेखांकित किया गया है।

Patriotic IAS (MAY)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. भारत-नेपाल संबंध:

चीन की छाया में परिवर्तन

- **नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने नेपाली कांग्रेस की जगह केपी शर्मा ओली के साथ एक नया गठबंधन बनाया।**
- चीन ने इस गठबंधन का खुले तौर पर स्वागत किया और अपने प्रभाव का संकेत दिया।
- **नेपाल के विदेश मंत्री ने सबसे पहले बीजिंग का दौरा किया, जिससे भारत से दूरी का संकेत मिलता है।**
- **नेपाल ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ सहयोग पुनर्जीवित करने पर सहमति व्यक्त की।**
- उच्च स्तरीय सैन्य यात्राएं चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों का संकेत देती हैं।
- नेपाल में अति-राष्ट्रवादी, चीन समर्थक और भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं।
- नेपाल में अतीत की अस्थिरता के कारण माओवादी विद्रोह और सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा मिला।
- भारत के नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में पहले से ही अच्छे संबंध थे।
- चीन अब नेपाल में भारत के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
- **चीन, पाकिस्तान की भागीदारी के साथ, भारत के विरुद्ध सीमापार आतंकवाद का समर्थन कर सकता है।**
- भारत को क्वाड जैसे समूहों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन नेपाल की अस्थिरता जोखिम पैदा करती है।

भारत का रुख

- भारत ने नेपाल के आंतरिक मामलों में अपनी सक्रियता कम रखी है, लेकिन उसे सलाह देने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
- हिंदू पहचान को वापस अपनाने या राजशाही को बहाल करने जैसे निर्णय नेपाल को लेने हैं।
- भारत नेपाली आम सहमति और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विकास का रोडमैप प्रस्तुत कर सकता है।
- उच्च स्तरीय भारतीय ध्यान से आशावाद आ सकता है, निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, तथा अंतर-पक्षीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- साझा सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर भारत-नेपाल संबंध मजबूत हो सकते हैं।
- भारत को "बड़े भाई-छोटे भाई" के रिश्ते को सावधानीपूर्वक संभालना होगा।
- कूटनीतिक कुशलता और विकास सहयोग से भारत-नेपाल संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है।

2. क्या रॉ के विदेशी परिचालन से संबंध प्रभावित होंगे?

- भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से भी जाना जाता है, इस सप्ताह सुर्खियों में रही।
- **अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान** सहित विभिन्न देशों से रिपोर्टें सामने आईं ।
- रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि रॉ ने **विश्व स्तर पर भारतीय मूल के खालिस्तानी अलगाववादी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया और उनकी हत्या की।**
- एजेंसी कथित तौर पर इन कार्रवाइयों का नेतृत्व कर रही थी।
- रॉयल **कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने** निज्जर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में तीन भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है तथा भारतीय सरकारी अधिकारियों से उनके संबंधों की जांच कर रही है।

Patriotic IAS (MAY)

- कनाडा के प्रधानमंत्री **जस्टिन ट्रूडो के** भारतीय एजेंसियों से संबंध होने का सुझाव देने वाले बयान के कारण कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया।
- **ऑस्ट्रेलिया के एबीसी ने 2020 में बताया कि रॉ के गुर्गों को जासूसी गतिविधियों और खालिस्तानी अलगाववादियों की निगरानी के लिए निष्कासित कर दिया गया था।**
- पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रॉ एजेंटों पर अपनी धरती पर न्यायेतर हत्याओं की साजिश रचने का आरोप दोहराया।
- ब्रिटेन में भारतीय खुफिया एजेंटों द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी नेता अवतार सिंह खांडा का पीछा करने और उन्हें धमकाने के आरोप फिर से सामने आए हैं। खांडा की पिछले वर्ष जून में मृत्यु हो गई थी।

नई दिल्ली ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

- मंत्रालय **ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि न्यायेतर हत्याएं** सरकार की नीति है, तथा आरोपों को अनुचित और निराधार बताया है।
- हालाँकि, विभिन्न देशों से प्राप्त आरोपों पर सरकार के जवाबों में विसंगतियां सामने आती हैं:
    - ऑस्ट्रेलिया के आरोपों पर भारत चुप रहा।
    - इसने कनाडा के विरुद्ध नाराजगीपूर्ण खंडन और दंडात्मक उपाय अपनाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
    - अमेरिकी अभियोग के जवाब में एक **"उच्च स्तरीय जांच" स्थापित की गई।**
- प्रधानमंत्री मोदी सहित भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे अभियानों को खुले तौर पर स्वीकार किया है और उनका समर्थन किया है।
- खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ भारतीय अभियानों का एक इतिहास रहा है, जिसमें 2019 में एक जर्मन अदालत द्वारा खालिस्तानी और कश्मीरी कार्यकर्ताओं **पर जासूसी करने के लिए एक भारतीय दंपति को सजा सुनाए जाने जैसे उदाहरण शामिल हैं।**
- भारतीय अधिकारी सवाल उठाते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश राजनयिक मिशनों पर हमले भड़काने और भारतीय राजनयिकों को धमकाने के आरोपी मुखर खालिस्तानी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं ।

क्या इसका कोई कूटनीतिक नतीजा होगा?

- पाकिस्तान और अब कनाडा को छोड़कर, जिन देशों में कथित ऑपरेशन हुए हैं, उनके साथ भारत के संबंध मजबूत बने हुए हैं।
- **खालिस्तान मुद्दे पर ऐतिहासिक तनाव के कारण 1973 से भारतीय प्रधानमंत्रियों की कनाडा की द्विपक्षीय यात्राएं बाधित होती रही हैं।**
- जम्मू-कश्मीर और पंजाब में सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गए हैं।
- अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कथित ऑपरेशनों की जांच जारी है।
- अमेरिकी **सरकार ने पन्नुन मामले पर बयान जारी किया है और भारत से जवाबदेही की अपेक्षा की है।**
- भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने तीन-चरणीय मांग रखी है: **गहन जांच, किसी भी गलत कार्य की सार्वजनिक स्वीकृति, तथा भारतीय न्यायालयों में कानूनी जवाबदेही।**

PatrioticIAS(MAY)

- अमेरिका में पन्नुन मामले और कनाडा में निज्जर मामले दोनों में सुनवाई प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी, और गुप्ता जैसे प्रमुख व्यक्तियों की गवाही अपेक्षित है।
- अमेरिका और इजराइल जैसे अन्य देश भी न्यायेतर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अक्सर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का हवाला देते हैं।
- खुफिया अभियानों में अनौपचारिक नियमों में मित्र देशों में अभियान चलाने से बचना, राजनयिक मिशनों से कोई संबंध न रखना, तथा पता लगाने से बचना शामिल है ।

3. **<u>भारत के वैश्विक उत्थान और क्षेत्रीय पतन का विरोधाभास:</u>**

- **भारत अपनी विदेश नीति में विरोधाभास का अनुभव कर रहा है, जहां विश्व स्तर पर उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उसकी ताकत घट रही है।**
- **आर्थिक विकास, सैन्य क्षमताओं और युवा जनसंख्या** जैसे कारकों से प्रेरित है ।
- **जी-20** जैसी वैश्विक संस्थाओं में भारत की उपस्थिति तथा **क्वाड और ब्रिक्स** जैसे बहुपक्षीय समूहों में इसकी भागीदारी इसके भू-राजनीतिक महत्व को उजागर करती है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य न होने के बावजूद, भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है** , तथा एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति होने के इसके दावे को अन्य देशों द्वारा भी स्वीकार किया जा रहा है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका ध्यान आकर्षित कर रही है,** क्योंकि भौगोलिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से यह केन्द्रीय स्थान रखता है।
- **हालाँकि, क्षेत्रीय स्तर पर, चीन के सापेक्ष भारत की शक्ति कम होती जा रही है, तथा क्षेत्र की भू-राजनीति में परिवर्तन के कारण यह दक्षिण एशिया में अपनी प्रधानता खो रहा है।**

बाह्य कारक

- **यह गिरावट निरपेक्ष नहीं बल्कि तुलनात्मक है, जो** इस क्षेत्र में भारत के पिछले प्रभाव की तुलना चीन के वर्तमान प्रभाव से करने पर देखी जा सकती है।
- भारत के प्रभाव में कमी लाने वाले कारकों में इस क्षेत्र से अमेरिका का हटना तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न शक्ति शून्यता को भरने के लिए चीन का विस्तार करना शामिल है।
- विडंबना यह है कि भारत की वैश्विक प्रमुखता के पीछे कुछ कारक, जैसे चीन को संतुलित करने के लिए भारत को अपने साथ शामिल करने में अमेरिका की बढ़ती रुचि, भी इसके क्षेत्रीय पतन में योगदान करते हैं।
- भारत का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से वैश्विक ध्यान आकर्षित हो रहा है, लेकिन इसके कारण महाद्वीपीय पड़ोस से ध्यान और संसाधन हट गए हैं।
- **जबकि भारत का वैश्विक उत्थान पूर्ण शक्ति** वृद्धि और प्रमुख शक्तियों की भू-राजनीतिक पसंद से प्रेरित है, वहीं इसकी क्षेत्रीय गिरावट तुलनात्मक शक्ति की गतिशीलता और छोटी क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा लिए गए विकल्पों से प्रभावित है।
- केवल महाशक्तियों के संतुलन पर ध्यान केन्द्रित करने के पक्ष में छोटी क्षेत्रीय शक्तियों के **संतुलनकारी कार्यों की अनदेखी करना प्रतिकूल परिणामकारी हो सकता है।**

चीन का उदय और भारत को क्या करना चाहिए

- भारत की शक्ति में समग्र वृद्धि के बावजूद, चीन का उदय भारत के क्षेत्रीय प्रभाव में गिरावट का प्राथमिक कारण है।
- बदलाव चीन के पक्ष में है, क्योंकि दक्षिण एशिया में उसकी उपस्थिति बढ़ रही है, क्षेत्र से अमेरिका पीछे हट रहा है, तथा भारत का ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केन्द्रित है।

Patriotic IAS (MAY)

- छोटे दक्षिण एशियाई देश इस नए शक्ति समीकरण के जवाब में संतुलन, सौदेबाजी, बचाव और बैंडवैगनिंग जैसी विभिन्न रणनीतियों को अपना रहे हैं।
- भारत के पड़ोसी देश चीन को भारत के प्रभाव के विरुद्ध एक उपयोगी बचाव के रूप में देखते हैं, जो इस क्षेत्र पर भारत की पकड़ को कमजोर करने में योगदान दे रहा है।
- इस चुनौती से निपटने के लिए , भारत को इस क्षेत्र की अपनी पारंपरिक अवधारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करने तथा दक्षिण एशिया में अपनी प्रधानता बनाए रखने के लिए अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।
- क्षेत्र की बदली हुई वास्तविकताओं को स्वीकार करना तथा हर पहलू में चीन के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय भारत की ताकत पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।
- भारत को इस क्षेत्र के साथ एक नई संलग्नता रणनीति तैयार करनी चाहिए जो इसकी पारंपरिक शक्तियों का लाभ उठाये तथा क्षेत्र की उभरती गतिशीलता को स्वीकार करे।
- **भारत की सांस्कृतिक विरासत के पहलुओं को पुनः प्राप्त करना**
- भारत को अपनी महाद्वीपीय रणनीति में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन समुद्री क्षेत्र में उसके पास अनेक अवसर हैं।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने समुद्री लाभ का लाभ उठाने से भारत को अपनी महाद्वीपीय कमियों की भरपाई करने में मदद मिल सकती है।
- भारत को अपने छोटे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों को हिंद-प्रशांत रणनीतिक चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, भले ही वे वर्तमान में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी न हों।
- **वृहद हिंद-प्रशांत रणनीति के तहत श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ साझेदारी करने से इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।**
- क्षेत्र को **गैर-भारत केंद्रित नजरिए से देखने की नई दिल्ली की इच्छा, साझा चुनौतियों से निपटने में बाह्य शक्तियों के साथ सहयोग के प्रति खुलेपन का संकेत देती है।**
- **भारत अब अपने पड़ोस में बाहरी शक्तियों को लेकर उतना असहज नहीं है, जितना शीत युद्ध के दौर में था।**
- **साझा क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद महासागर और दक्षिण एशिया में बाहरी साझेदारों के साथ सहयोग करने की** इच्छा है ।
- इस खुलेपन और बाह्य सहभागिता का उपयोग करके भारत की क्षेत्रीय गिरावट से उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने में मदद मिल सकती है।

सॉफ्ट पावर टैप करें

- नई दिल्ली को **इस क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का रचनात्मक उपयोग करना चाहिए** ।
- भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में **राजनीतिक और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के बीच अनौपचारिक संपर्क को** प्रोत्साहित करना लाभकारी हो सकता है।
- क्षेत्र में अनौपचारिक संघर्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, विशेषकर **वहां जहां भारतीय राज्य द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी में हिचकिचाहट हो सकती है, जैसे म्यांमार।**
- भारत के वैश्विक उत्थान और क्षेत्रीय पतन के बीच का अंतर इसकी वैश्विक आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। यह सवाल उठाता है कि क्या कोई देश जो अपने आस-पास के क्षेत्रों में प्रधानता बनाए रखने में असमर्थ है, वह वास्तव में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति हो सकता है।

4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएँ:

PatrioticIAS (MAY)

4.1 विश्व आर्थिक मंच:

- **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** एक **अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है** जो सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के शीर्ष लोगों के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करता है। इसका मिशन सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाना है।
- **स्थापना: 1971 में कोलोग्नी, स्विटजरलैंड, क्लॉस श्वाब द्वारा**
- **मुख्यालय: कोलोग्नी, स्विटजरलैंड**
- **नेतृत्व:**
  - क्लॉस श्वाब, संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष
  - बोर्गे ब्रेंडे, अध्यक्ष

प्रमुख गतिविधियां

- **दावोस में वार्षिक बैठक** : स्विटजरलैंड के दावोस में होने वाली हाई-प्रोफाइल वार्षिक बैठक संगठन का प्रमुख आयोजन है। यह राजनीति, व्यापार, शिक्षा और नागरिक समाज के विश्व नेताओं का एक सम्मेलन है, जिसमें वे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
- **क्षेत्रीय एवं उद्योग बैठकें:** विश्व आर्थिक मंच पूरे वर्ष विशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों पर केन्द्रित अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है।
- **पहल और मंच** : फोरम निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित विभिन्न पहलों और प्लेटफार्मों को शुरू और प्रबंधित करता है:
  - जलवायु परिवर्तन
  - चौथी औद्योगिक क्रांति (एआई जैसी प्रौद्योगिकियां)
  - वैश्विक स्वास्थ्य
  - आर्थिक विकास
- **यह काम किस प्रकार करता है**
- **सदस्यता मॉडल:** कम्पनियां WEF की सदस्य बन जाती हैं, जो इसकी गतिविधियों के लिए वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत प्रदान करती हैं।
- **साझेदारियां:** WEF सरकारों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।
- **"दावोस की भावना":** फोरम एक सहयोगात्मक, बहु-हितधारक दृष्टिकोण पर जोर देता है जिसे वे "दावोस की भावना" कहते हैं, जहां विविध हितधारक समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करते हैं।

4.2. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ):

- स्थापना: 1995
- उद्देश्य: विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार को विनियमित करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य व्यापार का सुचारू, पूर्वानुमानित और मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना है।
- सदस्यता: 164 सदस्य देश
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विटजरलैंड
- **महत्वपूर्ण कार्यों:**
  - **व्यापार समझौतों पर बातचीत: यह** विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए बहुपक्षीय व्यापार नियमों और समझौतों पर बातचीत करने और उन्हें स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है ।

Patriotic IAS (MAY)

- **व्यापार विवादों का निपटारा:** सदस्य देशों को व्यापार विवादों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलझाने में मदद करने के लिए विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है।
- **व्यापार नीतियों की निगरानी:** सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विश्व व्यापार संगठन के नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं।
- **क्षमता निर्माण:** विकासशील और अल्पविकसित देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में भाग लेने की उनकी क्षमता को मजबूत करने में सहायता करता है।

4.3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

- **स्थापना:** 1944 (1945 में परिचालन शुरू हुआ)
- **उद्देश्य:** आईएमएफ वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है।
- **सदस्यता:** 190 सदस्य देश
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
- **महत्वपूर्ण कार्यों**
  - **निगरानी:** आईएमएफ अपने सदस्य देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की आर्थिक और वित्तीय स्थिति की निगरानी करता है, संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालता है और नीतियों पर सलाह देता है।
  - **ऋण:** भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें स्थिरता और आर्थिक विकास बहाल करने में मदद मिलती है।
  - **क्षमता विकास** : सदस्य देशों को उनकी संस्थागत क्षमता और आर्थिक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और नीति सलाह प्रदान करता है।

Patriotic IAS(MAY)

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

1. चंद्रमा सबसे चमकीले तारे एंटारेस को ढक रहा है

- **बेंगलुरू स्थित भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (आईआईए) ने** 27 **अप्रैल को** एक चमकीले लाल तारे **एंटारेस के सामने से चंद्रमा** के गुजरने का फिल्मांकन किया ।
- **है** कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अपने पीछे तारों या ग्रहों को छिपा लेता है।
- भारत से दिखाई देने वाला **एंटारेस का अंतिम ग्रहण उसी वर्ष 5 फरवरी को हुआ था** ।
- अगला **ग्रहण जून 2027** में होने की उम्मीद है ।
- एंटारेस, **जिसे ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है , वृश्चिक तारामंडल का** सबसे चमकीला तारा है।
-

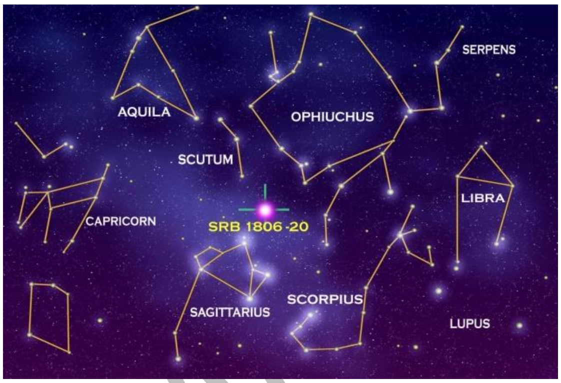

2. चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ की संभावना

- द्वारा **आईआईटी कानपुर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला और आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर किए गए एक अध्ययन** में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो बताते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्रेटरों में पानी की बर्फ बनने की संभावना बढ़ गई है।
- अनुमान है कि पहले कुछ मीटर के भीतर **सतह के नीचे बर्फ की मात्रा,** दोनों चंद्र ध्रुवों की सतह की बर्फ से **पांच से आठ गुना अधिक है ।**
- अध्ययन से पता चलता है कि **उत्तरी ध्रुवीय** इस क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में **लगभग दोगुनी मात्रा में जल बर्फ है ।**
- **यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है?** - यह अध्ययन चंद्रमा पर अस्थिर अन्वेषण के लिए इसरो की भविष्य की योजनाओं का समर्थन करता है।

3. दिल्ली रिज:

- दिल्ली रिज एक प्रमुख रिज और एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक विशेषता है जो भारत **के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला का विस्तार है** , जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका अनुमान **1.5 अरब वर्ष पुराना है** ।
- यह **भट्टी माइंस के पास तुगलकाबाद में दक्षिण-पूर्व से** शुरू होकर, कुछ स्थानों पर शाखाओं में विभाजित होकर, यमुना नदी के पश्चिमी तट पर वजीराबाद के पास उत्तर में सिमट कर लगभग 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
- इसे चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - उत्तरी रिज, दक्षिणी रिज, मध्य रिज और दक्षिण मध्य रिज, जो लगभग 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- **पारिस्थितिक महत्व:** यह रिज **"दिल्ली के फेफड़ों" के रूप में कार्य करता है, जो** राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण हरित आवरण प्रदान करता है और वनस्पतियों और जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है।
- रिज विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है, जिसमें 400 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ, 100 पक्षियों की प्रजातियाँ और 36 स्तनधारी प्रजातियाँ शामिल हैं। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और **तेंदुए, लकड़बग्घे और सियार जैसे जानवरों के लिए शरणस्थली है** ।

Patriotic IAS

4. कैटेटुम्बो बिजली: करंट की धार:

- कैटाटुम्बो बिजली एक प्राकृतिक घटना है जो वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी पर होती है, जहां बिजली लगभग लगातार गिरती रहती है।
- यह मुख्य रूप से कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पर होता है, जहां यह वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील, माराकाइबो झील से मिलती है।
- कैटाटुम्बो बिजली के लिए आवश्यक विशिष्ट परिस्थितियों में **कई कारक योगदान करते हैं , जिनमें कैरेबियन सागर से आने वाली गर्म, नम हवा और एंडीज पर्वत से आने वाली ठंडी हवा का टकराना शामिल है।**
- इस टकराव के **कारण विशाल क्यूम्यलोनिम्बस बादल बनते हैं,** क्योंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है।
- तेज हवाएं और तापमान में अंतर के कारण इन बादलों में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जिससे स्थैतिक बिजली बनती है।
- जब बादलों के भीतर विद्युत क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, तो वह बिजली के रूप में निकलती है।

- **कैटेटुम्बो बिजली ,** इसे एवरलास्टिंग स्टॉर्म या रेलाम्पागो डेल कैटाटुम्बो (जिसका स्पेनिश में अर्थ है "कैटाटुम्बो की बिजली") के रूप में भी जाना जाता है, यह एक मंत्रमुग्ध करने वाली वायुमंडलीय घटना है जो **कैटाटुम्बो नदी** के मुहाने पर होती है जहां यह **वेनेजुएला में माराकाइबो झील में गिरती है।**
- कैटाटुम्बो का अर्थ " **वज्र का घर** " होता है , जो यहां होने वाले विस्मयकारी विद्युतीय तमाशे को देखते हुए बहुत उपयुक्त नाम है।

कैटेटुम्बो बिजली :

- **मैराकाइबो झील के** ऊपर और आसपास पाया जाता है , आमतौर पर **कैटाटुम्बो नदी के बहने वाले** दलदली क्षेत्र में। झील में.
- तक साक्षी दी जाती है **, जो प्रतिदिन नौ घंटे तक चलती है।**
- यहां प्रति मिनट 16 से 40 बार बिजली गिरती है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय तूफानी क्षेत्रों में से एक बन जाता है।
- **कैरेबियन सागर** से आने वाली गर्म, नम हवा का टकराव माना जाता है कि एंडीज पर्वतमाला से नीचे की ओर आने वाली ठंडी हवाएं इस सतत तूफान का मुख्य कारण हैं।

5. मीठे पानी की खोज, संभवतः नया सोने का शिकार:

- **समुद्र के नीचे मीठा पानी मौजूद है** , जिसकी खोज बोरिंग और वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से की गई है।
- उदाहरणों में न्यू जर्सी तट पर खोजी गई मीठे पानी की खोज और काला सागर के नीचे की एक नदी शामिल हैं।
- **पृथ्वी के जल का केवल 2.5% ही मीठा जल है** , तथा इसका एक छोटा सा अंश ही सतह पर तरल रूप में मौजूद है।
- शेष ताजा पानी भूमिगत है, जिसमें समुद्र तल भी शामिल है।
- मीठा पानी एक ऐसा संसाधन है जो लगातार कम होता जा रहा है, जिसके कारण देश अपने समुद्री क्षेत्रों में इसका अन्वेषण और दोहन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

Patriotic IAS(MAY)

- **अन्वेषण विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) से आगे बढ़कर** यूएनसीएलओएस द्वारा परिभाषित "क्षेत्र" तक विस्तारित हो सकता है।
- यह "क्षेत्र" मानव जाति की साझी विरासत माना जाता है, जो भावी पीढ़ियों सहित सभी के उपयोग और लाभ के लिए उपलब्ध है।

समुद्र का कानून

- यद्यपि **यूएनसीएलओएस** महासागरों को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक पाठ है, फिर भी समुद्री कानून में प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व बना हुआ है।
- **समुद्र के कानून पर जिनेवा कन्वेंशन, 1958,** यूएनसीएलओएस के समान मुद्दों को कवर करता है और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है।
- **यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 311 में** कहा गया है कि यह पक्षकार देशों के लिए जिनेवा सम्मेलनों से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन गैर-हस्ताक्षरकर्ता देश यूएनसीएलओएस के प्रावधानों जैसे कि **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) या इसके परे के "क्षेत्र" को मान्यता नहीं देते हैं।**
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन यूएनसीएलओएस पर नहीं।
- यूएनसीएलओएस ने "क्षेत्र" के अन्वेषण और दोहन को "संसाधनों" तक सीमित कर दिया है, जिन्हें खनिजों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी शामिल हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें मीठा पानी भी शामिल है या नहीं।
- अंतर्राष्ट्रीय **समुद्रतल प्राधिकरण,** UNCLOS के अंतर्गत "क्षेत्र" में गतिविधियों का प्रशासन और नियंत्रण करता है, लेकिन **"क्षेत्र" में खनन और अन्वेषण गतिविधियों के संबंध में जिनेवा सम्मेलनों के राज्य पक्षों के लिए कोई निर्दिष्ट नियामक निकाय नहीं है।**

अन्वेषण का क्षेत्र

- भविष्य में जल की कमी और क्षेत्रीय विस्तार को लेकर संघर्ष उत्पन्न होने की आशंका है।
- आने वाले वर्षों में मीठे पानी के दुर्लभ एवं महंगे होने का अनुमान है।
- क्षेत्र " मीठे पानी की खोज और निष्कर्षण **के लिए एक संभावित क्षेत्र बन सकता है ।**
- जिस प्रकार तेल के कुओं की पहचान की जाती है और उन्हें भविष्य में उपयोग के लिए बंद कर दिया जाता है, उसी प्रकार मीठे पानी के कुओं की भी पहचान की जा सकती है और उन्हें संरक्षित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर मीठे पानी की खोज को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानून का अभाव है, जिसके कारण विवाद की संभावना बनी रहती है।
- **"क्षेत्र" में मीठे पानी की खोज से संबंधित कानून विकसित करना** सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
- भारत के पास ऐसे कानून विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर है।
- यह प्रयास मंगल ग्रह और चंद्रमा पर मानव बस्ती के प्रस्तावों की तुलना में जल की कमी की समस्या को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करके मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है।

PatrioticIAS(MAY)

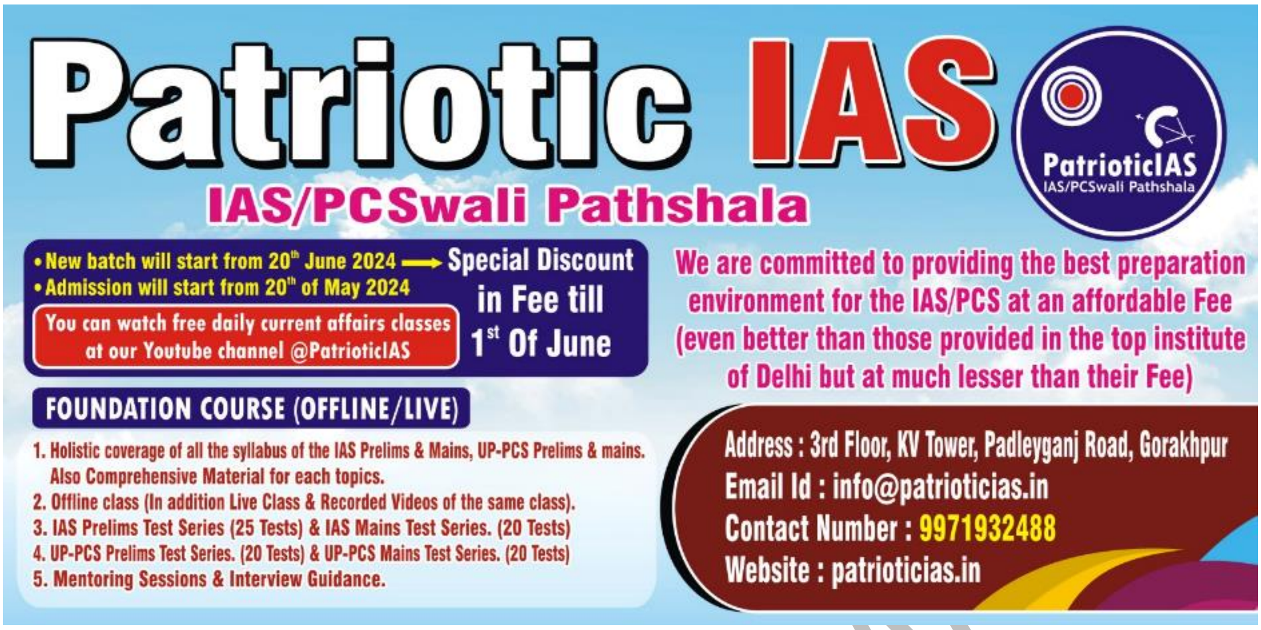
Patriotic IAS
IAS/PCSwali Pathshala
PatrioticIAS
IAS/PCSwali Pathshala
• New batch will start from 20th June 2024 → Special Discount in Fee till 1st Of June
• Admission will start from 20th of May 2024
You can watch free daily current affairs classes at our Youtube channel @PatrioticIAS
We are committed to providing the best preparation environment for the IAS/PCS at an affordable Fee (even better than those provided in the top institute of Delhi but at much lesser than their Fee)
FOUNDATION COURSE (OFFLINE/LIVE)
1. Holistic coverage of all the syllabus of the IAS Prelims & Mains, UP-PCS Prelims & mains. Also Comprehensive Material for each topics.
2. Offline class (In addition Live Class & Recorded Videos of the same class).
3. IAS Prelims Test Series (25 Tests) & IAS Mains Test Series. (20 Tests)
4. UP-PCS Prelims Test Series. (20 Tests) & UP-PCS Mains Test Series. (20 Tests)
5. Mentoring Sessions & Interview Guidance.
Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in

6. समाचार में स्थान

3.1 राफा – दक्षिणी गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी शहर।

- जब **1982 में इजरायल ने सिनाई से अपना अभियान वापस ले लिया, तो** राफा को गाजा के एक हिस्से और मिस्र के एक हिस्से में विभाजित कर दिया गया, जिससे वहां के परिवार कांटेदार तारों से अलग हो गए।

6.2 शक्सगाम घाटी:

- **पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की शक्सगाम घाटी** में चीन की कार्रवाई पर विरोध जताया है ।
- **भारत शक्सगाम घाटी को अपना हिस्सा मानता है** और 1963 के **चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को अस्वीकार करता है।**
- हाल के उपग्रह चित्रों से पता चला है कि निचली शक्सगाम घाटी में चीनी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी पुष्टि आधिकारिक सूत्रों ने भी की है।
- शक्सगाम **घाटी किसके द्वारा सौंपी गई थी?** भारत-चीन युद्ध के एक वर्ष बाद **1963 में पाकिस्तान ने चीन को अपना नियंत्रण सौंप दिया था ।**
- शक्सगाम घाटी **के पास स्थित सियाचिन ग्लेशियर , चीन और पाकिस्तान के बीच स्थित भारतीय क्षेत्र है।**
- **भारत सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को महत्वपूर्ण मानता है** , विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 के गतिरोध के बाद।
- **वास्तविक नियंत्रण रेखा** पर चीन की तैनाती और निर्माण से **देपसांग और दौलत बेग ओल्डी** जैसे क्षेत्रों में भारतीय ठिकानों के लिए खतरा पैदा हो गया है ।

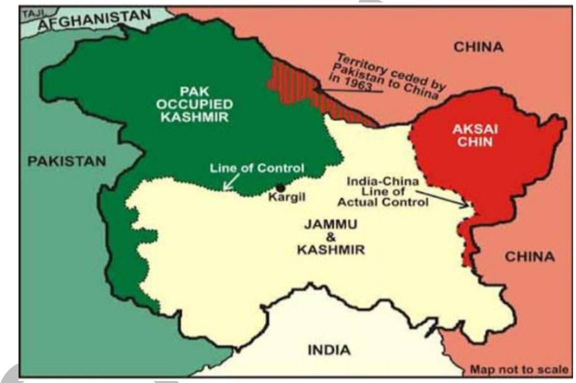

5.3 . इंडो पैसिफिक क्षेत्र

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 40 देश और अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं:** ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), भारत, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप देश (14), पाकिस्तान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी), फिलीपींस, कोरिया गणराज्य (आरओके), सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम।
- 2040 तक विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 50%
- वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 50%
- विश्व की 65% जनसंख्या
- विश्व के 67% स्वदेशी लोग
- दुनिया के 37% गरीब

Patriotic IAS

5 .4. माउंट रुआंग ज्वालामुखी

- **स्थान:** सांगीहे द्वीप, उत्तर सुलावेसी प्रांत, इंडोनेशिया।
- **ऊंचाई:** 725 मीटर (2,378 फीट)
- **प्रकार:** स्ट्रेटो ज्वालामुखी (शंकु के आकार का, कठोर लावा, राख और चट्टानों की कई परतों वाला)
- **हाल की गतिविधि:** माउंट रुआंग **इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है** । यह वर्तमान में **लगातार राख उत्सर्जन और कभी-कभी लावा प्रवाह के साथ फट रहा है** ।
- **प्रभाव:**
  - आसपास के क्षेत्र में ज्वालामुखीय राख के बादलों के कारण हवाई यात्रा में व्यवधान।
  - जब गतिविधि तीव्र हो जाती है तो निकटवर्ती द्वीप समुदायों को समय-समय पर खाली कराया जाता है।
  - शिखर क्रेटर के भीतर लावा गुंबद का निर्माण।
  - ज्वालामुखीय राख के बादल विमानन को प्रभावित कर रहे हैं।
- **विस्फोटों का इतिहास**
  - माउंट रुआंग में लगातार विस्फोटों का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रलेखित गतिविधि 1800 के दशक की है, जिसमें हाल के दशकों में महत्वपूर्ण विस्फोट शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - 2002: बड़े विस्फोट के कारण लोगों को निकाला गया।
  - 2023-2024: कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जारी विस्फोटक अवधि, जिससे राख गिरेगी और यात्रा में व्यवधान उत्पन्न होगा।

Patriotic IAS (MAY)

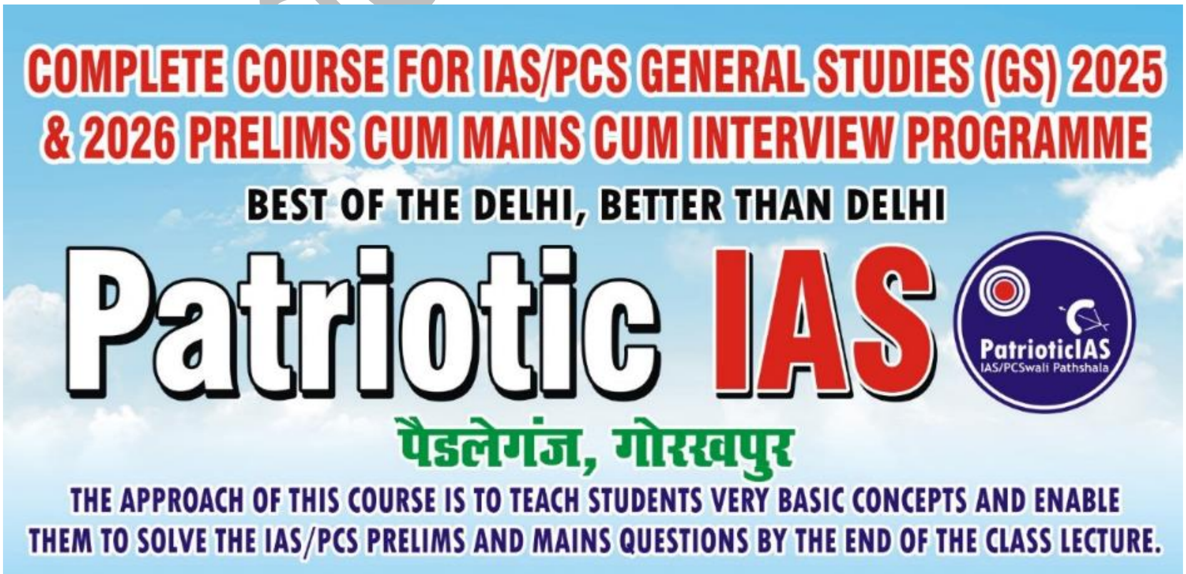

समाज और सामाजिक न्याय

1. खामोश हुई आजीविका:

- **चर्चा में क्यों** - गौरक्षकों की बढ़ती धमकियों और असहयोगी प्रशासन के कारण राजकोट के दलित पशु-त्वचा-उतराई करने वाले अपना पेशा छोड़ने को विवश हो रहे हैं।
- **संबंधित जानकारी - चर्मकारों के सामने आने वाली चुनौतियों में कानूनी मान्यता का अभाव, पहचान पत्र का अभाव, तथा गौरक्षकों जैसे निगरानी समूहों से खतरे शामिल हैं।**
- चमड़िया पाड़ा में चमड़े के गोदामों को ढूंढना कठिन है और वे अक्सर दृष्टि से छिपे रहते हैं।
- मृत पशु के हर हिस्से का उपयोग किया जाता है: चमड़े को व्यापारियों को बेचा जाता है, **हड्डियों का उपयोग जिलेटिन के लिए किया जाता है,** और **गाय के सींगों का उपयोग खिलौने और बटन बनाने के लिए किया जाता है** ।
- मृत मवेशियों का मांस ग्रे मार्केट में सस्ते दामों पर बेचा जाता है, जो **दलित परिवारों के लिए चिकन और मटन का सस्ता विकल्प है।**
- यह क्षेत्र, जो कभी मवेशियों की खालों के गोदामों से भरा रहता था, अब निराशा से भर गया है, क्योंकि कई गोदाम बंद हो चुके हैं।

> ***Do You Know?***
>
> **Uttar Pradesh** with the milk production of 31884 tons, stands as the largest milk producing state in India.
>
> **The top-5 milk producing states of India are**: Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Andhra Pradesh

मवेशियों की खाल उतारने के व्यापार में गिरावट क्यों?

- एनएच 27, राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग पर तेजी से हो रहे शहरीकरण ने सोखदा जैसे क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है।
- 2024 के लोकसभा चुनाव के वादों के तहत, हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्रों में संपत्ति की दरें बढ़ रही हैं, जिसका असर दलित चर्मकारों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब सोखदा में मवेशियों की खाल उतारने की अनुमति नहीं है।
- राजकोट नगर निगम ने उस स्थान पर कंक्रीट की चारदीवारी बना दी है, जो कभी चार्म कुंड हुआ करता था, तथा गौरक्षक इस क्षेत्र में चमड़ा निकालने की गतिविधियों को हतोत्साहित करते हैं।
- सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े स्थानीय नेता सोखदा डंपिंग ग्राउंड के समीप पार्टियों के लिए भूखंड विकसित कर रहे हैं और उनका दावा है कि वहां की बदबू अस्वीकार्य है।
- , उनके अधिकारों के लिए एक दशक से चल रही लड़ाई के बावजूद, सत्तारूढ़ पार्टी और प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया गया है।
- **2016 में, मृत गायों की खाल उतारने वाले पांच दलितों को मोटा समधियाला गांव में 40 गौरक्षकों ने पीट-पीटकर मार डाला था, जिसके कारण दीव में दलित समुदाय में भय का माहौल पैदा हो गया था।**
- दलितों के विरुद्ध अत्याचार और उनके काम पर प्रतिबंध अक्सर भूमि नियंत्रण के मुद्दों से जुड़े होते हैं।
- इस मुद्दे के समाधान के प्रयासों के बावजूद, जैसे कि मवेशी चमड़ा उतारने वालों के लिए पहचान पत्र हेतु 2017 की अधिसूचना, व्यक्तियों को संभावित दुरुपयोग के आधार पर इनकार का सामना करना पड़ा।

इसका अनुसरण क्या किया जा सकता है?

- **सरना संहिता** कुछ आदिवासी समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को संदर्भित करती है जो प्रकृति की पूजा करते हैं।

Patriotic IAS (AMY)

- इन समुदायों की हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म जैसे मुख्यधारा के धर्मों से अलग प्रथाएं हैं।
- इन जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए **सरना संहिता को आधिकारिक मान्यता देने की मांग की जा रही है , विशेष रूप से समान नागरिक संहिता पर चर्चा के संबंध में।**
- **सरना संहिता को मान्यता मिलने से** जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति और प्रथाओं को संरक्षित करने के लिए विशेष नीतियां बनाई जा सकती हैं।
- यह अन्य विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को मान्यता देने तथा सामाजिक न्याय और विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

सरना संहिता और आदिवासी
- सरना संहिता का पालन **झारखंड और भारत के अन्य भागों में विभिन्न आदिवासी और जनजातीय समुदायों द्वारा किया जाता है** ।
- **संथाल, हो, मुंडा, उरांव और खारिया** जैसी जनजातियाँ सरना धर्म का पालन करती हैं।
- सरना अनुयायी प्रकृति का आदर करते हैं और जीववादी प्रथाओं में संलग्न रहते हैं, तथा पेड़ों, पहाड़ों और जंगलों जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं।
- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा के संदर्भ में सरना संहिता को मान्यता देने का प्रयास महत्वपूर्ण है।
- यह इन जनजातियों की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता की रक्षा करता है तथा उनकी पहचान और विरासत को संरक्षित करता है।

2. एक नेकनीयत अध्ययन और एक जनसांख्यिकीय मिथक

- **आस पास की खबरें** - प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।

विवाद क्यों?

- प्रधानमंत्री **की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी) की रिपोर्ट** का निष्कर्ष है कि भारत में मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता है।
- हालाँकि, रिपोर्ट की टाइमिंग, पुराने आंकड़ों का उपयोग, तथा कुछ जनसांख्यिकीय रुझानों को उजागर करने में विफलता ने विवाद को जन्म दिया है।
- इसमें बौद्ध आबादी के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया गया है, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- कुछ लोगों का तर्क है कि यह रिपोर्ट हिंदुत्व मिथक को बढ़ावा देती है कि हिंदुओं पर अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनने का खतरा मंडरा रहा है।
- भारत में तथाकथित मुस्लिम शासन के दौरान हिंदुओं के बहुसंख्यक होने का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है।
- यह रिपोर्ट **बहुसंख्यक का दर्जा बनाए रखने के लिए हिंदुओं की जन्म दर बढ़ाने की वकालत करने वाले बयानों से जुड़ी है।**
- वर्तमान में **भारत की जनसंख्या में हिन्दू 79.80% हैं, जबकि मुस्लिम 14.23% हैं।**
- जनसांख्यिकीविदों का सुझाव है कि संख्यात्मक दृष्टि से अत्यधिक लाभ होने के कारण, हिंदुओं की बहुसंख्यक स्थिति को कोई वास्तविक खतरा नहीं है।

Patriotic IAS

बयानबाजी, छिपी हुई और अन्यथा

- कुछ नेता **'जनसंख्या जिहाद' का हवाला देते हुए ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाते हैं,** इससे यह संकेत मिलता है कि भारत एक इस्लामिक राज्य बन सकता है।
- इस बयानबाजी की जड़ें ऐतिहासिक हैं; एक शताब्दी से भी अधिक समय पहले 'ए डाइंग रेस' नामक पुस्तक में न्यूजीलैंड की मूल आबादी की तरह हिंदुओं की जनसंख्या में भी गिरावट की आशंका जताई गई थी।
- **पुस्तक में यह स्वीकार किया गया है कि हिंदुओं की संख्या में कोई वास्तविक कमी नहीं आई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल प्रजनन दर के आधार पर ही किसी समूह की स्थिति निर्धारित होनी चाहिए** ।
- उच्च प्रजनन दर अक्सर ।
- किसी समूह की भलाई का आकलन करते समय शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के साथ-साथ सत्ता संरचना में प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत की बढ़ती मुस्लिम आबादी को उनकी खुशहाली का सबूत बताया तथा पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ उनकी तुलना की।
- भारत **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और 2050 तक यहां हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की आबादी सबसे अधिक होगी।**
- दक्षिण एशिया के मुस्लिम बहुल देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों की तुलना में भारतीय मुसलमानों को अधिक अधिकार प्राप्त हैं।
- वित्त मंत्री का बयान अन्यत्र के मुसलमानों की तुलना में भारतीय मुसलमानों की सापेक्षिक खुशहाली को रेखांकित करता है।

जनसंख्या आंकड़ों पर एक नजर

- जनसंख्या वृद्धि किसी समूह की स्थिति को आंकने का एकमात्र मापदंड नहीं है; **उच्च प्रजनन दर शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का संकेत दे सकती है।**
- बढ़ती साक्षरता दर के कारण मुस्लिम प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आई है।
- **2001 से 2011 तक के जनगणना आंकड़ों से मुस्लिम और हिंदू दोनों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दिखती है।**
- **मुस्लिम कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्रतिस्थापन दर के करीब है** , जो स्थिरीकरण का संकेत है।
- जनसांख्यिकीविदों का अनुमान है कि सदी के अंत तक मुस्लिम जनसंख्या 18.8% पर स्थिर हो जाएगी, जबकि हिंदू बहुसंख्यक का दर्जा बरकरार रखेंगे।
- **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने** कहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो रही है, तथा कई राज्यों में **प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच गई है।**
- बिहार में प्रजनन दर सबसे अधिक है, जो मुस्लिम आबादी वाले कुछ दक्षिणी राज्यों से भी अधिक है।
- **असम में मुस्लिम जनसंख्या में चिंताजनक वृद्धि के दावे आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं हैं; असम की जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत के समान है** ।
- जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन सरकार ने उनका समर्थन नहीं किया।
- उत्तर प्रदेश और असम ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्तावित किए, लेकिन जनसांख्यिकीविद् जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बलपूर्वक उपायों का विरोध कर रहे हैं।

जबरदस्ती का प्रयोग प्रतिकूल है

- **अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में** विवाह की आयु, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

PatrioticIAS (MAY)

- **आईसीसीपीआर जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने वाले देश के रूप में भारत को** जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति अनिवार्य या बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण नीतियों पर रोक लगाती है।
- मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामे में स्वीकार किया कि परिवार नियोजन में जबरदस्ती करना प्रतिकूल परिणाम देने वाला है।
- जनसंख्या संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जाना चाहिए, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों के लिए।
- मुस्लिम शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को तुष्टीकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे समुदाय में उच्च प्रजनन दर को कम करने में मदद कर सकती हैं।

अल्पसंख्यक कौन हैं?

- संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को **परिभाषित नहीं किया गया है**
- **केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत** विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित करती है।
- **एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) के** तहत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित छह **समुदाय ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन हैं** । किसी राज्य के किसी विशिष्ट समुदाय को राज्य के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करना संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- **संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में** अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान है, जिसमें **भाषाई अल्पसंख्यक** भी शामिल हैं।
- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त द्वारा अपनाई गई कार्यकारी परिभाषा इस प्रकार है:- "भाषाई अल्पसंख्यक भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह या समूह हैं जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा या लिपि होती है।
- भाषाई **अल्पसंख्यकों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है।**

3. <u>'सप्तपदी' पर भ्रम दूर करना:</u>

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में वही बात दोहराई गई है जो हिंदू विवाह अधिनियम की एक धारा को पढ़ने से हमें पता चलती है।
- **डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल** मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर गलतफहमी है।
- कुछ लोगों का मानना है कि इस निर्णय का तात्पर्य यह है कि यदि सप्तपदी समारोह नहीं किया जाता है तो हिंदू विवाह वैध नहीं है।
- हालाँकि, **न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा** , न ही उसने अन्य समारोहों पर चर्चा की जो विवाह को वैध बना सकते थे।
- निर्णय में उन प्रचलित प्रथाओं पर भी विचार नहीं किया गया जहां मालाओं का आदान-प्रदान जैसे साधारण समारोह ही पर्याप्त होते हैं।
- तमिलनाडु में हिंदू **विवाह अधिनियम, 1955 में** संशोधन पर भी विचार नहीं किया , जिसमें धारा 7(ए) के माध्यम से विवाह का **"सुया मरियाधई" रूप प्रस्तुत किया गया था।**

न्यायालय के समक्ष मामला

- यह मामला पत्नी द्वारा अपने पति की तलाक याचिका को बिहार के मुजफ्फरपुर से झारखंड के रांची स्थानांतरित करने के लिए दायर स्थानांतरण याचिका से संबंधित है।
- दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से **संविधान की धारा 142 के तहत** अपने विवाह को अवैध घोषित करने के लिए आवेदन किया।

- उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी 7 मार्च, 2021 को तय हुई थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्होंने 7 जुलाई, 2021 को वैदिक जनकल्याण समिति (पंजीकृत) से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
- उन्होंने **उत्तर प्रदेश पंजीकरण नियम, 2017 के तहत पंजीकरण की मांग की और उन्हें 'विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त हुआ।**
- हिंदू विवाह समारोह की योजना के बावजूद, उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके परिणामस्वरूप पति ने तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी।
- **दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि उनके बीच कोई हिंदू विवाह नहीं हुआ था, इसलिए विवाह प्रमाणपत्र का कोई महत्व नहीं था।**
- उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह घोषित करे कि कोई विवाह नहीं हुआ था, तथा विवाह के आदेश के सामान्य कानूनी उपाय का उपयोग करते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दी जाए।
- हिंदू **विवाह अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह केवल पारंपरिक रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार ही सम्पन्न होना चाहिए।**
- **सप्तपदी, सात चरणों वाला अनुष्ठान, सभी हिंदू संप्रदायों में सार्वभौमिक रूप से प्रचलित नहीं है** ।
- अधिनियम में कहा गया है कि यदि सप्तपदी को शामिल कर लिया जाए तो सातवें चरण के साथ विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।
- न्यायालय **ने स्पष्ट किया कि सप्तपदी विवाह समारोह का एकमात्र रूप नहीं है** , तथा दोहराया कि विवाह समारोहों में लागू रीति-रिवाजों या प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए।

पिछले निर्णय

- यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के संबंध में मौजूदा कानून को दोहराता है।
- केवल पंजीकरण से विवाह सम्पन्न नहीं हो सकता; इसके लिए एक समारोह का आयोजन होना आवश्यक है।
- **तमिलनाडु ने 1967 में एक संशोधन पारित किया, जिसके तहत विवाह समारोहों को सरल बनाया गया तथा पुजारी के बिना विवाह की अनुमति दी गई।**
- **एस. नागलिंगम बनाम शिवगामी (2001) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि यदि पक्षकार स्वयं को जीवनसाथी घोषित कर दें और माला पहनाने या अंगूठी बदलने जैसी रस्में निभाएं तो पुजारी के बिना भी वैध विवाह हो सकता है।**
- **इलावरासन बनाम पुलिस अधीक्षक एवं अन्य (2023) ने** इस निर्णय को बरकरार रखा और बालाकृष्णन बनाम पुलिस निरीक्षक (2014) में दिए गए पिछले फैसले से असहमति जताई, जिसमें गुप्त विवाह को अमान्य माना गया था।
- न्यायालय ने तर्क दिया कि सार्वजनिक समारोह आयोजित करने से दम्पतियों को खतरा हो सकता है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- **इलावरासन मामले में विवाह एक वकील के कक्ष में हुआ था, जिसके बारे में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसे वैवाहिक संस्था नहीं माना जा सकता।**
- हालाँकि, यदि वकील व्यक्तिगत हैसियत में गवाह के रूप में काम करते हैं, तो उनकी भूमिका वैध है।

4. <u>समाचार में मिशन और योजनाएँ:</u>

4.1 स्मार्ट सिटी मिशन का अवलोकन:

स्मार्ट शहर क्या हैं?

- "**स्मार्ट सिटी**" शब्द 2009 की वित्तीय मंदी के बाद लोकप्रिय हुआ।
- यह उन्नत प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के एकीकरण के साथ डिजाइन किए गए शहरों को संदर्भित करता है।
- एनडीए **-1 सरकार का लक्ष्य जेएनएनयूआरएम जैसे शहरी नवीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक परिवर्तनों के अनुकूल होना था।**

PatriotIAS (MAY)

- **स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) को जून 2015 में** एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था।
- एससीएम के अंतर्गत **पांच वर्षों** में विकास के लिए **100 शहरों का चयन किया गया** ।
- हालाँकि, **मिशन में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया कि कौन सी चीज किसी शहर को "स्मार्ट" बनाती है।**
- इसने स्वीकार किया कि इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है तथा यह विकास के स्तर और निवासियों की आकांक्षाओं जैसे कारकों पर निर्भर करती है।
- विभिन्न शहरों और देशों में किसी शहर को "स्मार्ट" बनाने के बारे में अलग-अलग व्याख्याएं हैं।

एससीएम क्या था?

- स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के **दो मुख्य पहलू थे: क्षेत्र-आधारित विकास और अखिल-शहर समाधान।**
- **क्षेत्र-आधारित विकास** में पुनर्विकास, रेट्रोफिटिंग और ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शामिल थीं।
- **अखिल-शहर समाधान** आईसीटी पर केंद्रित थे और इसमें ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास शामिल थे।
- **इस मिशन के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए** , जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) महत्वपूर्ण है।
- मूलतः इस मिशन को 2020 में पूरा किया जाना था, लेकिन इसे जून 2024 तक दो बार बढ़ाया गया।
- मिशन के लिए मौजूदा नगर प्रशासन मॉडल को दरकिनार करते हुए एक नया शासन मॉडल अपनाया गया।
- कंपनी अधिनियम के तहत एक नौकरशाह या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक एस.पी.वी. (विशेष प्रयोजन वाहन) का गठन किया गया।
- निर्वाचित परिषद की शासन संरचना में सीमित भूमिका थी।

एससीएम की स्थिति क्या है?

- **शहरी मंत्रालय के** डैशबोर्ड के अनुसार , **स्मार्ट सिटी मिशन** (एससीएम) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कुल परिव्यय में कमी आई है।
- अपेक्षित **परिव्यय ₹2 लाख करोड़ था, लेकिन यह घटकर ₹1,67,875 करोड़ रह गया, जो 16% कम है।**
- एससीएम अनुदान से ₹65,063 करोड़ की लागत की 5,533 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है, जबकि ₹21,000 करोड़ की लागत की 921 परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं।
- लगभग **400 परियोजनाएं जून 2024 की विस्तारित समय सीमा को पूरा करने की संभावना नहीं है** ।
- वित्तपोषण का केवल एक छोटा सा हिस्सा, 5% से भी कम, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मार्ग से आया है।

एससीएम में कहां चूक हुई?

- **स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के लिए 100 शहरों का चयन** विविध शहरी वास्तविकताओं के कारण त्रुटिपूर्ण था।
- इस योजना में पश्चिम के स्थिर शहरी वातावरण के विपरीत **भारत में शहरीकरण की गतिशील प्रकृति पर विचार नहीं किया गया ।**
- एससीएम **बहिष्कृत हो गया** , जिसमें शहर के केवल 1% क्षेत्र को ही विकास के लिए चुना गया।
- **उदाहरण:** चंडीगढ़ ने अपने एससीएम फंड को एक क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च कर दिया, तथा शहर के अन्य हिस्सों की उपेक्षा कर दी।

Patriotic IAS (MAY)

- मैकिन्से की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय शहरों को 2030 तक रहने योग्य बनाने के लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
- एससीएम के लिए आवंटित ₹1,67,875 करोड़ अपर्याप्त है, जो नौ वर्षों में 20 बिलियन डॉलर से भी कम है।
- यह भारत में कुल शहरी विकास आवश्यकता का केवल 0.027% है।
- मॉडल **74वें संविधान संशोधन के अनुरूप नहीं था** , जिसके कारण शासन संरचना पर आपत्तियां उठीं।
- आलोचकों का तर्क है **कि डिजाइन बहुत ऊपर से नीचे की ओर था** , जिसके कारण शहरों को असंगत परियोजना निधि प्राप्त हुई।
- **शहरी भारत की 49% से अधिक आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है** , और एससीएम परियोजनाओं के कारण विस्थापन हुआ है तथा शहरी सार्वजनिक संसाधनों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
- एससीएम परियोजनाओं ने कुछ कस्बों में जल चैनलों और रूपरेखाओं को बाधित करके **शहरी बाढ़ को बढ़ाने में भी योगदान दिया है।**

4.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई):

- यह **भारत सरकार की** एक प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य **2024** तक **"सभी के लिए आवास" प्राप्त करना है** ।
- यह **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सेवा करता है दो उप-योजनाओं के साथ** :
    - ग्रामीण आवास और शहरी विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
    - शहरी आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी):	**प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू):**
• **इंदिरा आवास योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, 2016 में भारत सरकार** द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है । • इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के (स्थायी) मकान उपलब्ध कराना है। **महत्वपूर्ण जानकारी:** • लॉन्च किया गया: 1 अप्रैल, 2016 • मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय • लक्ष्य: गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार • लाभ: पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता **लक्ष्य:** पीएमएवाई-जी का प्राथमिक लक्ष्य 2024 तक "सभी के लिए आवास" प्राप्त करना है। **पात्रता:** PMAY-G के लिए पात्रता मानदंड सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और राज्य के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। यहाँ एक सामान्य दिशानिर्देश दिया गया है: • आवेदक ग्रामीण परिवार से संबंधित होना चाहिए। • सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले के रूप में पहचान की जानी चाहिए। • पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। • महिला सदस्यों वाले परिवारों, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों और बेघर परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।	• भारत सरकार द्वारा **25 जून 2015 को शुरू की गई** एक **प्रमुख** पहल है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी परिवारों को **स्लम पुनर्विकास और ऋण-लिंक्ड सब्सिडी द्वारा किफायती "पक्के" (स्थायी) मकान उपलब्ध कराना है।** • इस मिशन को **शुरू में 2022 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है** । **पीएमएवाई-यू के लिए कौन पात्र है?** पीएमएवाई-यू योजना का लक्ष्य निम्नलिखित है: लाभार्थी: • **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस):** इस श्रेणी को घर खरीदने के लिए योजना के तहत पूरी सहायता मिलती है। • **निम्न आय समूह (एलआईजी):** एलआईजी लाभार्थी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र हैं। • **मध्यम आय समूह (एमआईजी । और ॥):** एलआईजी के समान, एमआईजी श्रेणियां सीएलएसएस के माध्यम से लाभ उठा सकती हैं। **पीएमएवाई-यू की मुख्य विशेषताएं:** • **कार्यान्वयन के लिए चार कार्यक्षेत्र:** o लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी) o साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) o इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) o क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) • **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस):** यह घटक एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के पात्र

फ़ायदे: PMAY-G पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान राशि घर के प्रकार और भौगोलिक स्थान के आधार पर भिन्न होती है।	लाभार्थियों को गृह ऋण पर ब्याज दर में छूट प्रदान करता है। • **किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी):** एक उप-योजना पीएमएवाई-यू के तहत शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थलों के निकट किफायती किराये के आवास तक आसान पहुंच प्रदान की गई है।

4.3 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम):

- भारतीय शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे और शासन में सुधार के लिए **2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई** एक बड़े पैमाने की पहल थी ।
- **लॉन्च:** 3 दिसंबर, 2005
- **लक्ष्य:** सुधारों को प्रोत्साहित करना तथा चिन्हित शहरों के नियोजित विकास में तेजी लाना
- **फोकस क्षेत्र:** शहरी बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण में दक्षता, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय निकायों की जवाबदेही
- **निवेश:** सात वर्षों में 20 बिलियन डॉलर से अधिक
- **अवयव:**
  - **उप-मिशन 1:** शहरी बुनियादी ढांचा और शासन (यूआईडीजी)
  - **उप-मिशन 2:** शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)

जेएनएनयूआरएम के उद्देश्य

- जेएनएनयूआरएम **का उद्देश्य "आर्थिक रूप से उत्पादक, कुशल, न्यायसंगत और उत्तरदायी शहर" बनाना है:**
- शहरों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना
- सुधारों के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन को मजबूत बनाना

जेएनएनयूआरएम की उपलब्धियां:

- जेएनएनयूआरएम मिशन को पूरे भारत में शहरी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार का श्रेय दिया जाता है। इसकी कुछ उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:
- कई शहरों में बेहतर जलापूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ
- गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रमों में निवेश
- शहरी नियोजन और विकास पर अधिक ध्यान

वर्तमान स्थिति:

- जेएनएनयूआरएम **मिशन के बाद 2015 में अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) की शुरुआत हुई।** हालांकि जेएनएनयूआरएम अब एक सक्रिय मिशन नहीं है, लेकिन इसकी विरासत भारत में शहरी विकास नीतियों को आकार देने में लगी हुई है।

5. <u>स्वास्थ्य:</u>

Patriotic IAS (MAY)

5.1 ईपीआई को 'टीकाकरण पर एक आवश्यक कार्यक्रम' बनाएं

- वर्ष 2024 में **विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 1974 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (ईपीआई) के शुभारंभ के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे।**
- **ईपीआई की शुरुआत तब की गई जब चेचक वायरस का उन्मूलन** निकट आ रहा था, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर टीके के लाभों का विस्तार करने के लिए मौजूदा टीकाकरण बुनियादी ढांचे का उपयोग करना था।
- ईपीआई की घोषणा के बाद दुनिया के लगभग हर देश ने अपना राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया।
- **भारत ने 1978 में अपना ईपीआई शुरू किया, जिसे बाद में 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) नाम दिया गया ।**
- इस वर्ष भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से यूआईपी का अंतिम राष्ट्रव्यापी स्वतंत्र क्षेत्रीय मूल्यांकन किए जाने के दो दशक पूरे हो रहे हैं।
- यह मील का पत्थर टीकाकरण की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के लिए योजना बनाने का अवसर प्रस्तुत करता है।
- **विश्व स्तर पर और भारत में, टीकाकरण प्रभाव और टीके की उपलब्धता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।**
- **1974 में, छह बीमारियों के लिए टीके थे; अब, 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशंसित बीमारियों के लिए टीके हैं, तथा विशिष्ट संदर्भों के लिए 17 अतिरिक्त टीके अनुशंसित हैं।**
- चल रहे अनुसंधान का लक्ष्य लगभग 125 रोगाणुओं के विरुद्ध टीके विकसित करना है, जिनमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रचलित रोग भी शामिल हैं।

एक सफलता की कहानी

- पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक टीकाकरण कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, **2022 तक लगभग 84% बच्चों को डीपीटी (डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस) टीकों की तीन खुराकें दी जाएंगी।**
- **चेचक का उन्मूलन हो चुका है, पोलियो अधिकांश देशों से समाप्त हो चुका है** , तथा टीके से रोके जा सकने वाली अनेक बीमारियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं।
- **भारत में टीकाकरण कवरेज लगातार बढ़ रहा है, 2019-21 में 76% बच्चों को अनुशंसित टीके प्राप्त हुए।**
- अध्ययनों से पता चला है कि विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (ईपीआई) के शुभारंभ के बाद से टीकों ने लाखों लोगों के जीवन बचाए हैं और अरबों लोगों को अस्पताल जाने और अस्पताल में भर्ती होने से बचाया है।
- **आर्थिक दृष्टि से, टीके अत्यधिक लागत प्रभावी हस्तक्षेप हैं, क्योंकि टीकाकरण कार्यक्रम पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर का परिणाम सात से 11 गुना तक होता है।**
- भारत सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में टीकाकरण कार्यक्रम सफल रहे हैं, तथा अक्सर अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तुलना में अधिक कवरेज प्राप्त किया है।
- सफलता के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि 2021 में वैश्विक स्तर पर बाल टीकाकरण कवरेज में गिरावट से स्पष्ट है।
- **अनुमान है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर 14.3 मिलियन बच्चों को कोई अनुशंसित टीका नहीं मिलेगा, जबकि 6.2 मिलियन बच्चों को केवल आंशिक रूप से टीका लगाया गया।**
- यद्यपि भारत में पिछले कुछ वर्षों में टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ है, फिर **भी भूगोल, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर कवरेज में असमानताएं अभी भी हैं** , जिनमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

PatrioticIAS (MAY)

बचपन के फोकस से लेकर जीवन पथ तक

- **1798 में चेचक के विरुद्ध प्रथम टीका उपलब्ध होने के बाद से, वयस्कों सहित सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए टीके सदैव उपलब्ध रहे हैं।**
- प्रारंभिक टीके जैसे रेबीज, हैजा और टाइफाइड आदि मुख्य रूप से वयस्कों के लिए थे, जिससे यह पता चलता है कि टीके सभी आयु समूहों के लिए थे।
- **अतीत में बच्चों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि टीके से रोके जा सकने वाले रोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता अधिक होती है तथा टीकों की आपूर्ति और संसाधन सीमित होते हैं।**
- बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज में वृद्धि के साथ, वयस्क आबादी में टीका-निवारणीय बीमारियाँ अधिक आम होती जा रही हैं, जिससे वयस्कों और बुजुर्गों के टीकाकरण पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है।
- कई देशों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, सरकारी नीतियों को टीकाकरण कवरेज का विस्तार कर इसमें वयस्कों और बुजुर्गों को भी शामिल करना चाहिए।
- नीतियों में वयस्कों और बुजुर्गों के लिए अनुशंसित टीके सरकारी सुविधाओं पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि टीके अत्यधिक लागत प्रभावी हैं।
- टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) को कवरेज बढ़ाने के लिए वयस्कों और बुजुर्गों के टीकाकरण पर सिफारिशें प्रदान करनी चाहिए।
- **टीकों के बारे में मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करना टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सरकार और विश्वसनीय स्रोतों द्वारा सक्रिय संचार और शिक्षा प्रयासों की आवश्यकता है।**
- सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञों, पारिवारिक चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों सहित डॉक्टरों के पेशेवर संघों को वयस्कों और बुजुर्गों के बीच टीकों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
- किसी भी बीमारी से पीड़ित रोगियों का इलाज करने वाले चिकित्सकों को उन्हें टीकों के बारे में शिक्षित करने का अवसर लेना चाहिए।
- मेडिकल कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों को भारत की वयस्क आबादी पर रोगों के बोझ को समझने के लिए अध्ययन करना चाहिए।
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नए टीकों को शामिल करने से मौजूदा टीकों के कवरेज में वृद्धि देखी गई है, जिससे पता चलता है कि वयस्कों और बुजुर्गों के टीकाकरण का विस्तार करने से बाल टीकाकरण कवरेज में सुधार हो सकता है और टीकाकरण असमानताओं में कमी आ सकती है।
- **भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)** ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके लिए प्रमुख साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक और स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा की आवश्यकता है।
- **2023 के अंत में, भारत ने तपेदिक (टीबी) से निपटने के प्रयासों के तहत वयस्क बीसीजी टीकाकरण की एक पायलट पहल शुरू की।**
- कोविड **-19 टीकाकरण ने वयस्क टीकाकरण के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ा दी है।**
- यह टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए एक उपयुक्त अवसर है, जिसमें शून्य खुराक वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, टीका कवरेज असमानताओं को दूर किया जा सके, तथा वयस्कों और बुजुर्गों को टीके उपलब्ध कराए जा सकें।
- अब समय आ गया है कि विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (ईपीआई) को 'आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम' बनाया जाए, क्योंकि यह अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है।

Patriotic IAS (MAY)

मिशन इन्द्रधनुष:

- मिशन इंद्रधनुष (एमआई) **दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था** और इसका उद्देश्य **पूर्ण टीकाकरण संख्या को बढ़ाना है। बच्चों के टीकाकरण कवरेज को 90% तक पहुंचाना।**
- इस अभियान के अंतर्गत कम टीकाकरण कवरेज वाले तथा पहुंच से दूर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहां टीकाकरण न कराए गए या आंशिक रूप से टीकाकरण कराए गए बच्चों का अनुपात सबसे अधिक है।
- देश भर के 554 जिलों को कवर करते हुए **मिशन इंद्रधनुष के कुल छह चरण पूरे हो चुके हैं ।**
- (541 जिलों के 16,850 गांव) और **विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान** (117 आकांक्षी जिलों के 48,929 गांव) **के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक** के रूप में भी पहचाना गया ।
- मिशन इन्द्रधनुष के प्रथम दो चरणों के परिणामस्वरूप एक वर्ष में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7% की वृद्धि हुई, जबकि तीव्र मिशन इन्द्रधनुष (मिशन इन्द्रधनुष का 5वां चरण) में शामिल 190 जिलों में किए गए एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2015-16 में किए गए एनएफएचएस-4 सर्वेक्षण की तुलना में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 18.5% अंकों की वृद्धि हुई है।

Patriotic IAS (MAY)

अर्थव्यवस्था

1. निवेश मॉडल:

1.1 हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल:

- यह एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)** मॉडल है जिसका उपयोग भारत में, विशेष रूप से सड़क क्षेत्र में, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए किया जाता है।
- **इसमें दो अन्य पीपीपी मॉडलों की विशेषताएं सम्मिलित हैं: बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (टोल) (बीओटी) एन्युटी और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी)।**

हैम की मुख्य विशेषताएं

- **परियोजना लागत का बंटवारा:** सरकार **निर्माण की शुरुआती लागत** का एक हिस्सा (आमतौर पर 40%) **वहन करती है** , जिसे निर्माण के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों से जुड़ी किश्तों में वितरित किया जाता है। **निजी डेवलपर शेष 60% का वित्तपोषण करता है** - जो उनकी इक्विटी और ऋण का संयोजन होता है।
- **वार्षिकी भुगतान:** परियोजना के पूरा होने के बाद, सरकार शेष परियोजना लागत और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय की भरपाई के लिए रियायत अवधि (आमतौर पर 30 वर्ष) के लिए डेवलपर को **अर्ध-वार्षिक निश्चित वार्षिकी भुगतान करती है ।**
- **टोल संग्रहण:** राजमार्ग पर टोल संग्रहण के लिए सरकार जिम्मेदार है और वह इसे **डेवलपर के साथ साझा नहीं करती है।**
- **डेवलपर का चयन:** डेवलपर्स का **चयन पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है , जो उनके उद्धृत परियोजना** लागत के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) और रियायत अवधि के दौरान ओ एंड एम व्यय पर आधारित होता है ।

हैम के लाभ

- **सरकार का वित्तीय बोझ कम होना:** प्रारंभिक लागत को साझा करने से, एचएएम परियोजना को पूरी तरह से वित्तपोषित करने की तुलना में सरकार पर तत्काल वित्तीय बोझ को कम करता है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि:** यह मॉडल वार्षिकी के माध्यम से सुनिश्चित रिटर्न और अपने निवेश को वापस पाने के अवसर का संयोजन प्रदान करके निजी डेवलपर्स को आकर्षित करता है।
- **परियोजना का शीघ्र पूरा होना:** समय पर मील का पत्थर-आधारित भुगतान डेवलपर्स को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **जोखिम का हस्तांतरण:** यातायात में उतार-चढ़ाव और टोल संग्रहण दक्षता का जोखिम सरकार वहन करती है।

यहां कुछ संबंधित चित्र दिए गए हैं जिन्हें आप वेब सर्च पर पा सकते हैं लेकिन मैं उन्हें सीधे प्रदर्शित नहीं कर सकता:

- भारत में निर्माणाधीन राजमार्ग का चित्र।
- एचएएम में सरकार और डेवलपर के बीच परियोजना लागत के बंटवारे को दर्शाने वाला ग्राफ।
- HAM मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करने वाला एक चार्ट।

2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी):

Patriotic IAS (MAX)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भारत में औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों का एक उपाय है। यह अनिवार्य रूप से **भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि को ट्रैक करता है** , जिसमें शामिल हैं:

- खुदाई
- बिजली
- उत्पादन

आईआईपी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अंतर्गत एक विभाग है, तथा संदर्भ माह समाप्त होने के छह सप्ताह बाद इसे प्रकाशित किया जाता है।

आईआईपी क्यों महत्वपूर्ण है?

- आईआईपी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह आर्थिक रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, नीतियां बनाने में मदद करता है और विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन की निगरानी करता है। आईआईपी का विश्लेषण करके, अर्थशास्त्री और नीति निर्माता यह अनुमान लगा सकते हैं:
- औद्योगिक विकास दर
- विशिष्ट क्षेत्रों का प्रदर्शन
- उत्पादन स्तर में उतार-चढ़ाव
- सरकारी नीतियों का प्रभाव

आधार वर्ष और कवरेज

- आईआईपी का एक आधार वर्ष होता है, जो एक संदर्भ बिंदु होता है जिसके आधार पर उत्पादन में होने वाले बदलावों को मापा जाता है। आईआईपी के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-2012 है, जिसका अर्थ है कि उस वर्ष उत्पादन स्तर को 100 का सूचकांक दिया गया है। आईआईपी में औद्योगिक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- व्यापक क्षेत्र: खनन, विनिर्माण और बिजली
- उपयोग-आधारित क्षेत्र: मूल वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं

आठ प्रमुख उद्योग

- जबकि आईआईपी एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है, आठ मुख्य उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये आठ मुख्य उद्योग, आईआईपी में उनके भार के साथ, इस प्रकार हैं:
- रिफाइनरी उत्पाद (17.92%)
- बिजली (15.22%)
- स्टील (11.64%)
- कोयला (4.35%)
- कच्चा तेल (4.12%)
- प्राकृतिक गैस (2.68%)
- सीमेंट (2.44%)
- उर्वरक (1.89%)

Patriotic IAS (MAY)

3. **<u>यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)</u>** :

- यह एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो अपने सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। **इसकी स्थापना 1960 में** यूरोप में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए की गई थी, जो यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मिलकर काम करता है।
- **सदस्य देशों**
- वर्तमान में EFTA के चार सदस्य देश हैं:
- **आइसलैंड**
- **लिकटेंस्टाइन**
- **नॉर्वे**
- **स्विट्ज़रलैंड**

महत्वपूर्ण कार्यों

- **मुक्त व्यापार समझौते:** EFTA ने यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया है। ये FTA EFTA और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को खत्म या कम करते हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** ईएफटीए विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना भी शामिल है।
- **एकल बाजार भागीदारी:** यद्यपि यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क संघ के सदस्य नहीं हैं, फिर भी सभी EFTA सदस्य यूरोपीय एकल बाजार में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और पूंजी की मुक्त आवाजाही तक पहुंच प्राप्त होती है।
- **शेंगेन क्षेत्र: सभी EFTA सदस्य शेंगेन क्षेत्र का भी हिस्सा हैं** , जो सदस्य राज्यों के बीच पासपोर्ट-मुक्त यात्रा की अनुमति देता है।

शासन

- सर्वोच्च **शासी निकाय ईएफटीए परिषद है** , जो राजदूत स्तर पर वर्ष में आठ बार और मंत्री स्तर पर वर्ष में दो बार बैठक करती है। संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैंड में स्थित है, तथा ब्रुसेल्स और लक्जमबर्ग में इसके कार्यालय हैं।

ईएफटीए बनाम ईयू

- ईएफटीए और ईयू के बीच मुख्य अंतर उनके एकीकरण के स्तर में है। जहां ईएफटीए मुक्त व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं ईयू एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें गहन एकीकरण है, जिसमें एक आम मुद्रा (यूरो), एक सीमा शुल्क संघ और विभिन्न नीति क्षेत्रों पर निकट सहयोग शामिल है।

4. **<u>समाचार में कर:</u>**

4.1 उत्तराधिकार कर:

- उत्तराधिकार कर एक ऐसा कर है जो पीढ़ियों के बीच धन के हस्तांतरण पर लगाया जाता है।
- यह एक निश्चित सीमा से अधिक धन वाले व्यक्तियों को लक्ष्य करता है।

Patriotic IAS (MAY)

- प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने पर ये कर धन के संकेन्द्रण को कम करते हैं तथा उत्पादक निवेश को बढ़ावा देते हैं।
- विरासत में मिली संपत्ति के लिए अक्सर वंशजों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
- आलोचकों का तर्क है कि उत्तराधिकार कर नवप्रवर्तन को हतोत्साहित कर सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए नवप्रवर्तन महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- उत्तराधिकार कर से प्राप्त राजस्व से अनेक नवाचारों को वित्तपोषित किया जा सकता है।
- जापान में उत्तराधिकार कर की दर 55% तक ऊंची है।
- भारत में 1953 से 1985 तक सम्पदा शुल्क (एक प्रकार का उत्तराधिकार कर) लागू था, जो धन के संकेन्द्रण को कम करने में प्रभावी था।

4.2 भूमि मूल्य कर:

- भूमि मूल्य कर (एल.वी.टी.) **भूमि के किराये मूल्य पर कर लगाता है** , चाहे उस पर कोई भी संपत्ति बनी हो।
- यह कर ज़मीन मालिक द्वारा चुकाया जाता है, किरायेदारों द्वारा नहीं।
- **भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है** और करों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, जिससे LVT राजस्व का एक विश्वसनीय स्रोत बन जाता है।
- **एलवीटी धन के पुनर्वितरण में मदद कर सकता है** , विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां भूमि स्वामित्व ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती जाति संबंधों को कायम रखता है या शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक-बिल्डर संबंधों को बढ़ावा देता है।
- श्रम के विपरीत, जो करों से प्रभावित हो सकता है, भूमि स्थिर रहती है, जिससे LVT राजस्व उत्पन्न करने और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए कुशल बन जाती है।

4.3. संपत्ति कर:

- **एक व्यक्ति या परिवार की एक निश्चित सीमा से ऊपर की शुद्ध संपत्ति पर** लगाया जाने वाला वार्षिक कर। शुद्ध संपत्ति में आम तौर पर **अचल संपत्ति, वित्तीय होल्डिंग्स, वाहन और अन्य मूल्यवान संपत्ति जैसी संपत्तियां शामिल होती हैं** ।
- **वर्तमान वैश्विक स्थिति:** संपत्ति कर अपेक्षाकृत असामान्य हैं। नॉर्वे, स्पेन और स्विटजरलैंड जैसे कुछ ही देश वर्तमान में इन्हें लागू करते हैं।
- **भारत में ऐतिहासिक उपयोग: भारत में 1957 से 2015 तक संपत्ति कर था, उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया** ।

4.4 उपकर:

- **परिभाषा: किसी विशिष्ट उद्देश्य** के लिए **मौजूदा कर देयता के ऊपर लगाया गया** कर । एकत्रित राजस्व का उपयोग केवल उसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
- **उद्देश्य:** विशिष्ट सरकारी कार्यक्रमों या विकासों के लिए धन जुटाने के लिए शुरू किया गया, जो अक्सर सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होते हैं।
- **उदाहरण:**
  - शिक्षा उपकर
  - स्वास्थ्य उपकर
  - स्वच्छ भारत उपकर
  - कृषि कल्याण उपकर

4.5. अधिभार:

Patriotic IAS (MAY)

- **परिभाषा: मौजूदा कर देयता के ऊपर लगाया गया** अतिरिक्त कर । उपकर के विपरीत, एकत्रित राजस्व **सामान्य सरकारी कोष में जाता है और इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है** ।
- **उद्देश्य:** आमतौर पर अतिरिक्त राजस्व जुटाने या राजकोषीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में लगाया जाता है। अक्सर उच्च आय वर्ग को लक्षित करता है।
- **उदाहरण:**
    - आयकर अधिभार (उच्च आय करदाताओं के लिए)
    - कॉर्पोरेट अधिभार

5. <u>अमीरों को गरीब बनाये बिना गरीबों को अमीर बनाओ</u>

चर्चा में क्यों?

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर** अपने घोषणापत्र में धन के पुनर्वितरण का वादा करने का आरोप लगाया है, लेकिन दस्तावेज में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
- इससे भारत और विश्व स्तर पर असमानता पर बहस छिड़ गई, क्योंकि पिछले दो दशकों में आर्थिक असमानता काफी बढ़ गई है।
- इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से धन के अंतर को पाटने के वास्तविक समाधान खोजने में बाधा उत्पन्न होगी।
- इस अंतर को पाटने के लिए या तो अमीरों को और गरीब बनाया जा सकता है, या गरीबों को और अमीर बनाया जा सकता है, या दोनों किया जा सकता है।
- **पेरेटो ऑप्टिमम**" की अवधारणा बताती है एक व्यक्ति की स्थिति में सुधार से दूसरे की स्थिति खराब हो सकती है, जो धीमी वृद्धि वाले विकसित देशों के लिए प्रासंगिक है।
- हालाँकि, तीव्र विकास दर वाले विकासशील देशों के पास असमानता को दूर करने के लिए अधिक विकल्प हैं, जो वैचारिक दृष्टिकोण में मौलिक अंतर प्रस्तुत करता है।

'प्रणाली को ठीक करें'

- धन -कर का विचार , **जिसका उद्देश्य गरीबों की सहायता के लिए अति-धनवानों से धन निकालना है, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए 'शून्य-योग' दृष्टिकोण पर आधारित है** ।
- अनुचित साधनों से अर्जित धन पर कर लगाने से प्रक्रिया और परिणाम एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे धन पर सीधे निशाना साधने के बजाय व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता का सुझाव मिलता है।
- **उत्तराधिकार कर,** नैतिक रूप से आकर्षक होते हुए भी, आर्थिक असमानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकता है तथा निवेश को बाधित कर सकता है।
- भारत की आर्थिक वृद्धि समग्र आर्थिक विस्तार के लिए आवश्यक है, जिसके लिए निवेश की आवश्यकता है, जिसमें आक्रामक कराधान नीतियां बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- भारत की असमानता विषम आर्थिक वृद्धि और कराधान से उत्पन्न होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है, जहां सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार बहुसंख्यकों के लिए नौकरियों और समृद्धि में परिवर्तित नहीं होता।
- **श्रम-केंद्रित नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से पूंजी-श्रम असंतुलन को** पुनः संतुलित करने की आवश्यकता है , जैसा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए कुछ वादों में देखा गया है, जैसे कि युवाओं के लिए प्रशिक्षुता का अधिकार और कॉर्पोरेट्स के लिए **रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं।**
- भारत में असमानता कराधान में असंतुलन के कारण और बढ़ जाती है, जहां आम आदमी कॉर्पोरेट की तुलना में अधिक कर चुकाता है।

PatrioticIAS(MAY)

- **हर एक में से** करों से प्राप्त 100 रुपए में से 64 रुपए अप्रत्यक्ष (जीएसटी) और आयकर के माध्यम से **गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं , जबकि केवल 36 रुपए अमीर कॉर्पोरेट्स से आते हैं।**
- इससे गरीब और आम आदमी को दोहरा बोझ झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रखा जाता है और उन पर कॉर्पोरेट्स से भी अधिक कर लगाया जाता है।

क्या किया जाने की जरूरत है?

- इसका समाधान **भारत के कराधान ढांचे में व्यापक बदलाव करके किया जा सकता है** , जिसमें सरल और निम्न जीएसटी दरें तथा एक नया प्रत्यक्ष कर कोड शामिल है।
- **कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा जाल** गरीबों को तब तक सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जब तक कि वे आर्थिक विकास से लाभान्वित नहीं हो जाते।
- कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण तीव्र विकास, उच्च कर-क्षमता तथा अमीरों को दंडित किए बिना कुशल कल्याणकारी वितरण से आ सकता है।
- **अमीर-गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण में आर्थिक विकास को अधिकतम करना, बेरोजगारी को न्यूनतम करना, आम आदमी के लिए कर का बोझ कम करना और गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल** है ।
- , **कल्याण सुरक्षा जाल** और निवेश आकर्षित करने के बीच एक **नाजुक संतुलन की आवश्यकता है।**

निष्कर्ष: गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए अमीरों पर दंडात्मक कर लगाना व्यावहारिक, बुद्धिमानी या वांछनीय नहीं माना जाता है। इसके बजाय, भारत गरीबों को और अधिक अमीर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके असमानता को कम कर सकता है, बिना अमीरों को और अधिक गरीब बनाए।

पैरेटो इष्टतमता, या पैरेटो दक्षता , अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जो एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां **किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को बदतर बनाये बिना किसी व्यक्ति की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है** । यह एक ऐसी स्थिति है जहां सभी व्यक्तियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन यथासंभव सबसे कुशल तरीके से किया जाता है।

- पेरेटो **फ्रंटियर** दो उद्देश्यों के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना प्राप्त किया जा सकता है।
- वक्र पर स्थित किसी भी बिंदु को **पैरेटो इष्टतम माना जाता है** , जबकि वक्र के नीचे स्थित बिंदु को अकुशल माना जाता है।

पैरेटो इष्टतमता:

- यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, और व्यवहार में, वास्तव में पेरेटो इष्टतम परिणाम प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
- पेरेटो इष्टतमता का **तात्पर्य समानता या निष्पक्षता से नहीं है** । यह केवल संसाधनों के सबसे कुशल आवंटन की पहचान करने का एक तरीका है।

पेरेटो इष्टतमता की अवधारणा का उपयोग कई अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इंजीनियरिंग शामिल हैं।

6. क्रय प्रबंधकों की सूची

- **आर्थिक संकेतक:** PMI एक समग्र संकेतक है जो **किसी देश के विनिर्माण क्षेत्र के स्वास्थ्य को मापता है।** यह विनिर्माण कंपनियों में **क्रय प्रबंधकों के बीच किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है।**
- पीएमआई में पांच उप-सूचकांक शामिल हैं:
  - नए आदेश
  - उत्पादन स्तर
  - रोज़गार

- आपूर्तिकर्ता डिलीवरी
- सूची

- **व्याख्या:**
- **पीएमआई का 50 से ऊपर रहना** विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार का संकेत है।
- **पीएमआई का 50 से नीचे रहना** इस क्षेत्र में संकुचन का संकेत है।
- **पीएमआई = 50** कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है।
- **समग्र आर्थिक गतिविधि के अग्रणी सूचक** के रूप में अर्थशास्त्रियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं द्वारा पीएमआई का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता है ।

7. भारत का ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र:

- प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को एक अग्रणी वैश्विक गेमिंग केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- उन्होंने गेमिंग उद्योग की प्रगति और चुनौतियों को समझने के लिए अप्रैल 2024 में सात शीर्ष गेमर्स के साथ एक दिन बिताया।
- चर्चा में **कौशल गेमिंग को जुए से अलग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया** ताकि एक अनुकूल नियामक वातावरण स्थापित किया जा सके।
- **ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल इंडिया पहल का अभिन्न अंग है,** जो इसके महत्व को उजागर करता है।
- मुख्य बातों में **भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित खेलों की क्षमता, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और भारत में करियर के रूप में गेमिंग की धारणाओं को संबोधित करना शामिल था**

तेजी से विकास

- भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने तेजी से विकास का अनुभव किया है, **वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 23 के बीच इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 28% रही है।**
- अनुमान है कि **वित्त वर्ष 28 तक 15% CAGR को बनाए रखते हुए ₹33,243 करोड़ तक की वृद्धि होगी।**
- यह क्षेत्र महत्वपूर्ण विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित करता है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर पैदा करता है।
- भारत की आईटी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, गेमिंग उद्योग देश के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है।
- **2021 में वैश्विक गेमिंग उद्योग का राजस्व 300 बिलियन डॉलर से अधिक होने के बावजूद, भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग राजस्व में केवल 1.1% का योगदान देता है, जो वृद्धि के लिए पर्याप्त गुंजाइश दर्शाता है।**
- ऑनलाइन गेमिंग **भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बहु-अरब डॉलर का अवसर प्रस्तुत करता है और यह 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है।**
- सकारात्मक विकास में **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स की स्थापना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करना शामिल है।**
- **आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जैसे विनियमों की शुरूआत और जीत पर स्रोत पर कर कटौती पर स्पष्टीकरण ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट-अप के लिए स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करता है।**
- ये उपाय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में युवा भारतीयों द्वारा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं

मुद्दे जिनकी जांच की आवश्यकता है

Patriotic IAS (MAY)

- **2021 के आईटी नियमों में स्व-नियामक निकायों की उपस्थिति** के बावजूद , उनका प्रभावी कार्यान्वयन लंबित है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने पर उनका इच्छित प्रभाव कम हो रहा है।
- नवाचार और तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित उद्योग में स्व-नियमन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **नीति आयोग के चर्चा पत्र में** ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग क्षेत्र के लिए एक स्व-नियामक मॉडल का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें स्व-नियामक संगठन को सबसे आगे रखा जाएगा।
- कराधान में हालिया संशोधनों ने उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी **, दांव के कुल अंकित मूल्य पर 28% कर दर लगाने का फैसला किया है।**
- इससे पहले, जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरूआत के बाद से भारत में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 18% जीएसटी दर लागू थी।
- **हालांकि उच्च कर दर ने शुरू में सरकार के कर राजस्व को बढ़ावा दिया है, लेकिन** यह दीर्घावधि में उद्योग के लिए स्थिरता संबंधी चिंताएं पैदा करता है और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रभावित कर सकता है

नम्र शक्ति

- **भारत के पास उद्योग में मौजूदा कमियों को दूर करके एक अग्रणी वैश्विक गेमिंग केंद्र बनने का अवसर है।**
- कहानियों, किंवदंतियों और लोककथाओं सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय **दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित खेलों की ओर आकर्षित किया जा सकता है।**
- गेमिंग उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं।
- चूंकि गेमिंग को एक कैरियर विकल्प के रूप में देखने की धारणा बदल रही है, इसलिए भारत गेमिंग परिदृश्य में नवाचार को बढ़ावा देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बढ़ती संख्या से लाभान्वित हो सकता है।
- भारत गेमिंग उद्योग में एक परिवर्तनकारी युग के कगार पर है, और **कौशल गेमिंग के लिए सक्षम वातावरण बनाकर और सांस्कृतिक आख्यानों का लाभ उठाकर** , यह 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अपने विजन को साकार कर सकता है और वैश्विक गेमिंग के भविष्य को आकार दे सकता है।

8. <u>भारत अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है</u>

- 2023 में **भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन जाएगा** ।
- भारत **2023 में 113 बिलियन यूनिट (बीयू) सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा** , जबकि जापान 110 बीयू का उत्पादन करेगा।
- हालांकि, स्थापित विद्युत क्षमता (नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों सहित) **के संदर्भ में , भारत 73 गीगावाट** (GW) के साथ विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर है, **जबकि जापान** 83 GW के साथ तीसरे स्थान पर है।
- स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादित बिजली के बीच विसंगति बिजली की मांग और स्थानीय परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव के कारण है।
- नीति आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि **भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 442 गीगावाट में सौर ऊर्जा का योगदान 18% है** , लेकिन वास्तविक उत्पादित बिजली में इसका योगदान केवल 6.66% है।

Patriotic IAS (MAY)

- 2023 में जापान की बिजली की मांग में 2% की कमी आएगी, जिससे भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में उससे आगे निकल जाएगा।
- **चीन विश्व में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है** , जो 2024 में 584 बिलियन यूनिट (बीयू) उत्पादन करेगा, जो अगले चार देशों: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और भारत के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है।
- 2023 में, चीन नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जो अतिरिक्त वैश्विक सौर उत्पादन का 51% और नए वैश्विक पवन उत्पादन का 60% होगा।
- परमाणु ऊर्जा के साथ संयुक्त रूप से, 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में कम कार्बन स्रोतों का योगदान लगभग 40% होगा।

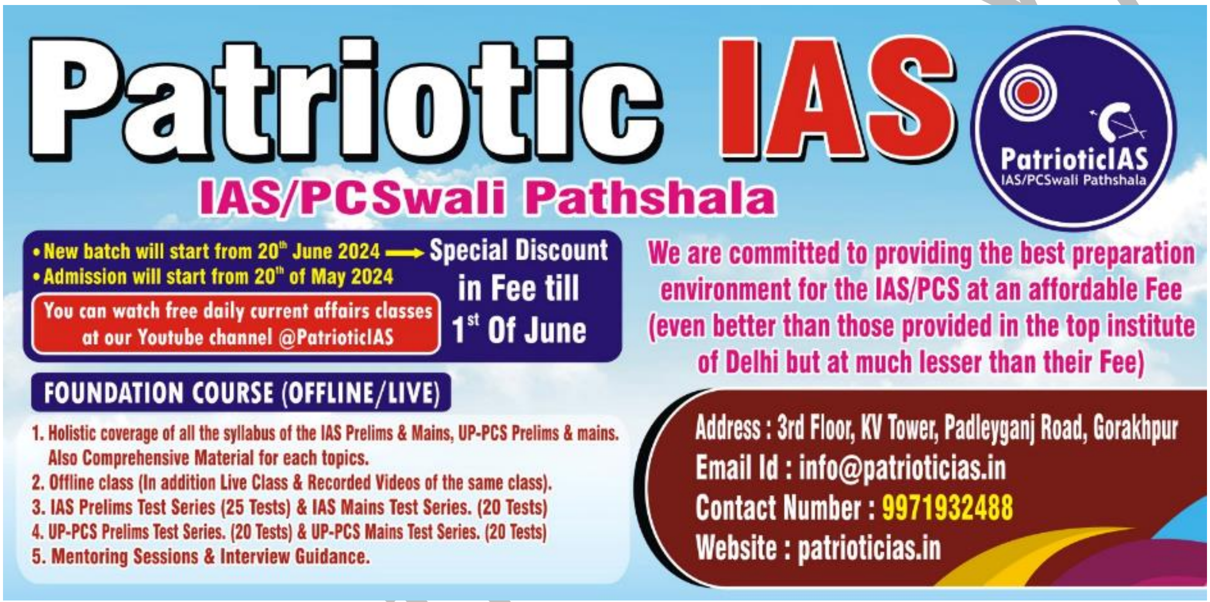

पर्यावरण

1. कार्बन खेती क्या है?

- कार्बन एक आवश्यक तत्व है जो सभी जीवित जीवों और कई खनिजों में पाया जाता है।
- यह पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और कार्बन चक्र सहित विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- खेती में भूमि पर खेती करना, फसल उगाना, तथा भोजन, फाइबर, ईंधन या अन्य संसाधनों के लिए पशुधन पालना जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- **कार्बन खेती में कृषि पद्धतियों को पुनर्योजी कृषि तकनीकों के साथ जोड़ा जाता है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।**

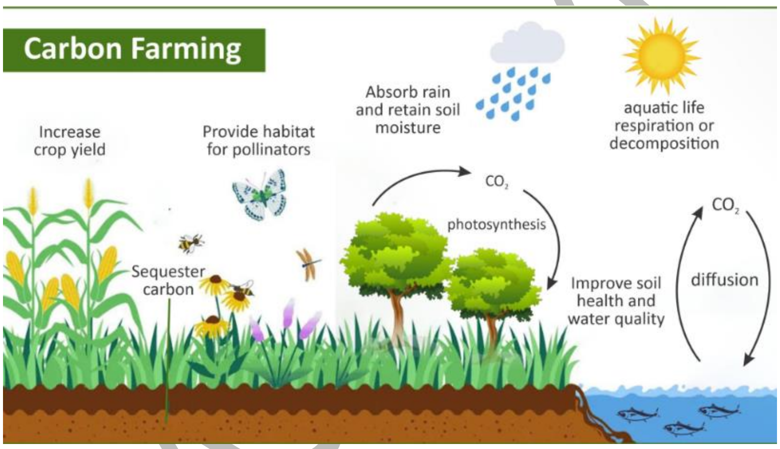

- **यह जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कृषि परिदृश्य में कार्बन भंडारण को बढ़ाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है।**
- कार्बन कृषि पद्धतियाँ **मृदा क्षरण, जल की कमी और जलवायु परिवर्तनशीलता से संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती हैं।**

कार्बन खेती कैसे सहायक हो सकती है?

- **चक्रीय चराई कार्बन खेती का एक सरल रूप है जिसमें पशुओं को विभिन्न चरागाह क्षेत्रों के बीच ले जाया जाता है।**
- अन्य कार्बन कृषि पद्धतियों में **कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कृषि-पारिस्थितिकी, पशुधन प्रबंधन और भूमि पुनर्स्थापन शामिल हैं।**
- **सिल्वोपेस्टर और गली फसल** जैसी कृषि वानिकी प्रथाओं में **कार्बन को अलग करने और कृषि आय में विविधता लाने के लिए फसलों या चारागाह के साथ पेड़ और झाड़ियाँ लगाना** शामिल है ।
- संरक्षण कृषि तकनीकें जैसे **कि शून्य जुताई, फसल चक्र, कवर फसल और फसल अवशेष प्रबंधन, मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने और मिट्टी में कार्बनिक सामग्री को बढ़ाने में मदद करती हैं।**
-
- **एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में मृदा उर्वरता को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने के लिए जैविक उर्वरकों और कम्पोस्ट का उपयोग करना शामिल है।**
- फसल विविधीकरण और अंतरफसल जैसे कृषि-पारिस्थितिक दृष्टिकोण पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन में योगदान करते हैं।
- **पशुधन प्रबंधन रणनीतियाँ जैसे चक्रीय चराई, चारे की गुणवत्ता को अनुकूलित करना, तथा पशु अपशिष्ट का प्रबंधन,** मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकती हैं तथा चारागाह भूमि में कार्बन भंडारण को बढ़ा सकती हैं।

कार्बन खेती की चुनौतियाँ क्या हैं?

Patriotic IAS

- कार्बन खेती की प्रभावशीलता **भौगोलिक स्थिति, मिट्टी के प्रकार, फसल का चयन, जल उपलब्धता, जैव विविधता और खेत के आकार जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।**
- क्षेत्र **कार्बन खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं** क्योंकि वे वनस्पति विकास के माध्यम से कार्बन अवशोषण के लिए इष्टतम स्थितियां प्रदान करते हैं।
- जैसी पद्धतियाँ **विशेष रूप से पर्याप्त वर्षा और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में प्रभावी हो सकती हैं।**
- सीमित जल उपलब्धता वाले गर्म और शुष्क क्षेत्रों में कार्बन खेती चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जहां पीने और कपड़े धोने की जरूरतों के लिए पानी को प्राथमिकता दी जाती है।
- सीमित जल उपलब्धता पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकती है तथा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन अवशोषण की क्षमता को सीमित कर सकती है।
- कुछ कार्बन कृषि पद्धतियां, जैसे कवर क्रॉपिंग, अतिरिक्त जल मांग के कारण शुष्क वातावरण में व्यवहार्य नहीं हो सकती हैं।
- **पौधों की प्रजातियों का चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रजातियाँ कार्बन को समान रूप से प्रभावी ढंग से नहीं पकड़ पातीं और संग्रहीत नहीं कर पातीं।** तेजी से बढ़ने वाले पेड़ और गहरी जड़ों वाली बारहमासी घास आम तौर पर कार्बन को सोखने में बेहतर होती हैं।
- किसानों के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में, कार्बन कृषि पद्धतियों के क्रियान्वयन से जुड़ी लागतों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक हो सकती है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति के रूप में कार्बन खेती की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है

विश्व भर में कार्बन खेती की कुछ योजनाएं क्या हैं?

- कृषि में कार्बन ट्रेडिंग ने विश्व स्तर पर महत्व प्राप्त कर लिया है, विशेष रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों में, जहां स्वैच्छिक कार्बन बाजार उभरे हैं।
- शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज और ऑस्ट्रेलिया में कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव जैसी पहलों का उद्देश्य कृषि में कार्बन शमन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
- **बिना जुताई वाली खेती और पुनर्वनीकरण** जैसी प्रथाएं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से प्रोत्साहित की जाने वाली गतिविधियों के उदाहरण हैं ।
- **विश्व बैंक द्वारा समर्थित केन्या की कृषि कार्बन परियोजना,** आर्थिक रूप से विकासशील देशों में जलवायु शमन, अनुकूलन और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कार्बन खेती की क्षमता को प्रदर्शित करती है।
- पहल **, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में कार्बन सिंक की भूमिका पर जोर देती है** ।
- लगभग 390 बिलियन टन के शेष कार्बन बजट का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि महासागर और वायुमंडल कार्बन के साथ अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुंच रहे हैं

भारत में क्या अवसर हैं?

- जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन अधिक गंभीर होता जा रहा है, जलवायु प्रभावों के प्रति लचीली तथा उत्सर्जन को कम करने वाली कृषि पद्धतियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं।
- भारत में जमीनी स्तर पर की गई पहल और शोध से पता चलता है कि जैविक खेती कार्बन को प्रभावी ढंग से संग्रहित कर सकती है, जिससे आर्थिक लाभ मिल सकता है।
- भारत में कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं में लगभग 170 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि से 63 बिलियन डॉलर का मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता है।

PatrioticIAS(MAY)

- **टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को जलवायु सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति एकड़ लगभग 5,000-6,000 रुपये का वार्षिक भुगतान प्राप्त हो सकता है।**
- **सिंधु-गंगा के मैदान और दक्कन के पठार जैसे क्षेत्र कार्बन खेती के लिए उपयुक्त हैं, जबकि हिमालयी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।**
- कार्बन क्रेडिट प्रणाली पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय प्रदान करके किसानों को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **कृषि मृदा में 20-30 वर्षों तक प्रतिवर्ष 3-8 बिलियन टन CO2-समतुल्य अवशोषित करने की क्षमता होती है, जो जलवायु स्थिरीकरण में योगदान देती है।**
- कार्बन खेती को बढ़ाने के लिए **सीमित जागरूकता, अपर्याप्त नीति समर्थन, तकनीकी बाधाओं, तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।**
- **भारत में कार्बन खेती को बढ़ावा देने से जलवायु परिवर्तन को कम करने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने, जैव विविधता को बढ़ाने और किसानों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।**

2. <u>जीवाश्म ईंधन नहीं, बल्कि सूक्ष्मजीव सबसे अधिक नई मीथेन उत्पन्न करते हैं:</u>

- एक शोध दल ने 2019 से 2020 तक वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि 1990 के दशक तक मीथेन की सांद्रता बढ़ी, कुछ समय के लिए स्थिर हुई, फिर 2007 के आसपास फिर से बढ़ने लगी।
- **हालिया अनुमान बताते हैं कि वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता आज 300 वर्ष पहले की तुलना में तीन गुना अधिक है।**
- शोधकर्ता वायुमंडल में मीथेन की बढ़ी हुई सांद्रता के स्रोत की जांच कर रहे हैं।
- शोध से पता चलता है कि **जीवाश्म ईंधन के जलने के बजाय सूक्ष्मजीव वायुमंडल में मीथेन के प्राथमिक स्रोत हैं।**

विकसित होती समझ

- **मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के बाद दूसरी सबसे अधिक प्रचलित मानव-जनित ग्रीनहाउस गैस है, लेकिन इसका ग्रह पर अधिक गर्माहट पैदा करने वाला प्रभाव है।**
- एक शताब्दी से अधिक समय में **मीथेन की वैश्विक तापन क्षमता CO2 से 28 गुना अधिक है,** तथा दो दशकों जैसी छोटी अवधि में यह और भी अधिक हो जाती है।
- हाल तक नीति निर्माताओं ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्रयासों में मीथेन उत्सर्जन को प्राथमिकता नहीं दी थी।
- 2021 में, सदस्य देशों ने मीथेन उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में 'ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा' शुरू की।**
- मीथेन उत्सर्जन के बारे में हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है ।

<u>Do You Know?</u>

- **Carbon-13 is a key indicator used to distinguish between methane from biological sources and methane from thermogenic sources.**
- **Methane from biological sources typically contains fewer carbon-13 atoms compared to methane from thermogenic sources.**

मीथेन के स्रोत

Patriotic IAS (MAY)

- मीथेन उत्सर्जन विभिन्न स्रोतों से होता है, जिन्हें बायोजेनिक और थर्मोजेनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **थर्मोजेनिक** मीथेन तब उत्सर्जित होती है जब प्राकृतिक गैस या तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को पृथ्वी की सतह के अंदर से निकाला जाता है।
- जैवजनित मीथेन सूक्ष्मजीवी गतिविधि से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से मीथेनोजेन्स नामक आर्किया से।
- **मीथेनोजेन्स** ऑक्सीजन रहित वातावरण में पनपते हैं, जैसे पशु पाचन तंत्र, आर्द्रभूमि, चावल के खेत, लैंडफिल, तथा झील और महासागर तलछट।

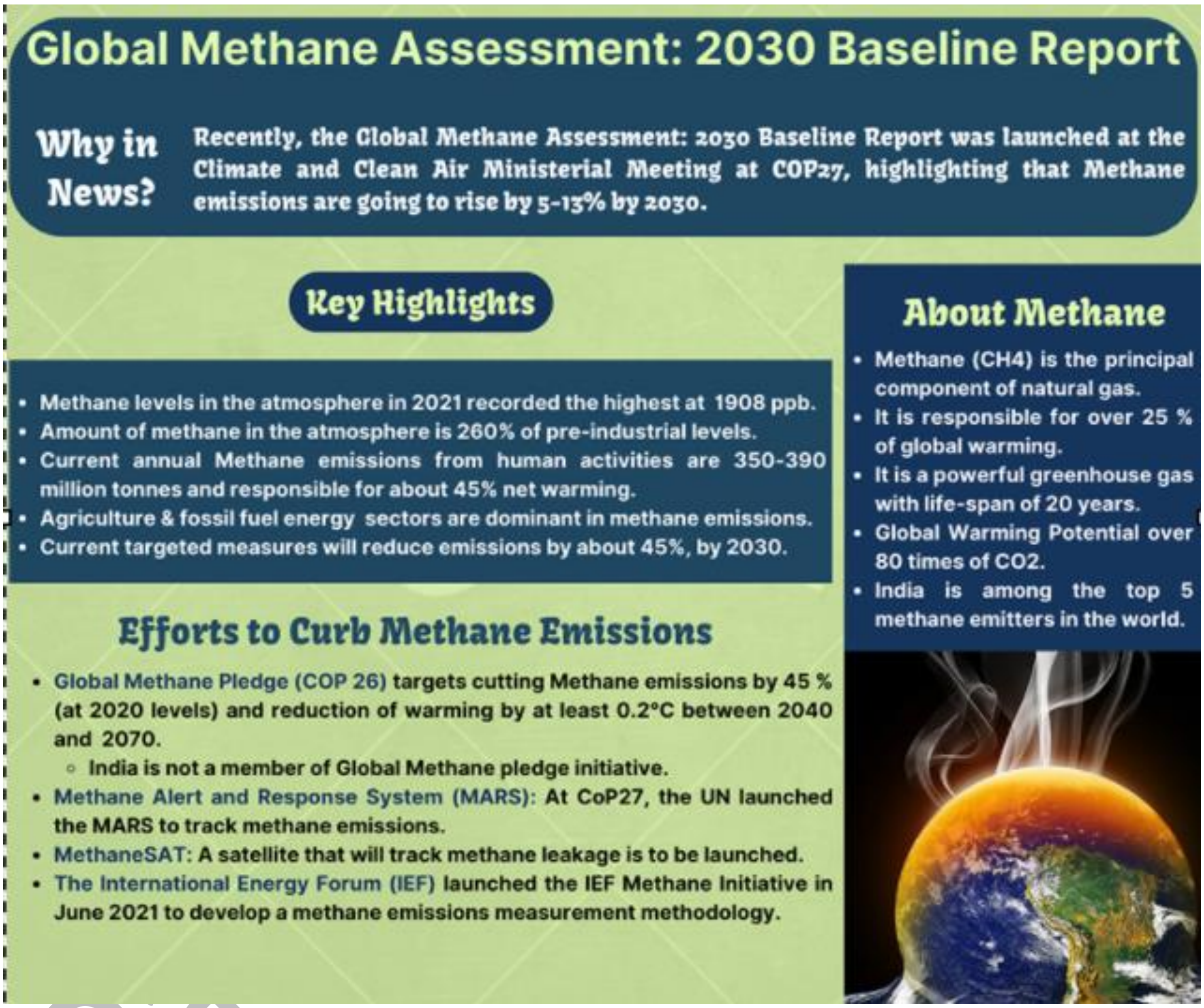

- **मीथेनोजेन्स** वैश्विक कार्बन चक्र के भाग के रूप में कार्बनिक पदार्थों को मीथेन में परिवर्तित करते हैं, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है ।
- **कृषि, डेयरी फार्मिंग और जीवाश्म ईंधन उत्पादन** जैसी मानवीय गतिविधियों ने मीथेन उत्सर्जन को प्राकृतिक स्तर से अधिक बढ़ा दिया है।
- **बायोजेनिक और थर्मोजेनिक दोनों गतिविधियाँ मीथेन के विभिन्न समस्थानिक उत्पन्न करती हैं।**
- इन समस्थानिकों पर नज़र रखने से मीथेन उत्सर्जन के स्रोतों और वायुमंडलीय मीथेन स्तरों में उनके सापेक्ष योगदान की पहचान करने में मदद मिलती है।

3. यह सतत विकास लक्ष्यों को पुनः पटरी पर लाने का वर्ष है:

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन **18-19 सितंबर को न्यूयॉर्क में हुआ** ।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने **की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था।**
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में अपनाए गए एजेंडा-2030 में 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 169 विशिष्ट लक्ष्यों के साथ 17 सतत विकास लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई** है ।
- इन लक्ष्यों में सतत विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें **गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच शामिल है।**
- यद्यपि **सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है** , फिर भी सभी देशों ने इन लक्ष्यों की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, क्योंकि सतत विकास को एक वैश्विक प्रयास माना जाता है।
- शिखर सम्मेलन ने देशों को अपने प्रयासों की समीक्षा करने, सफलताओं और चुनौतियों को साझा करने तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया।

धीमी प्रगति

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कम होती जा रही है।
- कोविड **-19 महामारी और अन्य वैश्विक संकटों ने स्थिति को और खराब कर दिया है।**
- धीमी प्रगति और पर्यावरणीय लक्ष्यों पर ध्यान न दिए जाने को लेकर चिंता है।
- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के वर्तमान दृष्टिकोण की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि **इसमें उनके एकीकृत स्वरूप पर विचार नहीं किया गया है।**
- मानव कल्याण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित न होने से पर्यावरणीय क्षरण में तेजी आ सकती है।
- संयुक्त **राष्ट्र एसडीजी रिपोर्ट 2023 में पांच प्रमुख क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई का सुझाव दिया गया है।**
- विश्व नेताओं ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावशीलता अनिश्चित है।

PatrioticIAS (MAY)

परिणाम जो विवेचना के योग्य हैं

- **64 विद्वानों की एक टीम ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के राजनीतिक प्रभाव का आकलन करने के लिए 3,000 अध्ययनों का विश्लेषण किया** ।
- सितंबर 2022 में नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित, नीदरलैंड के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रैंक बर्मन के नेतृत्व में।
- **पांच आयामों की जांच की गई: वैश्विक शासन, घरेलू राजनीतिक प्रणाली, संस्थागत एकीकरण, समावेशिता और पारिस्थितिक संरक्षण।**
- निष्कर्ष यह निकला कि सतत विकास लक्ष्यों का **मुख्य रूप से सीमित मानक और संस्थागत सुधारों के साथ विचार-विमर्श संबंधी प्रभाव था** ।
- इस बात के बहुत कम प्रमाण मिले कि वैश्विक लक्ष्य-निर्धारण का राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ा।
- 2030 एजेंडा की परिवर्तनकारी क्षमता को साकार करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया गया।
- **"भविष्य अभी है" संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट (2019) में** एक साथ कई सतत विकास लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने का सुझाव दिया गया है।
- सतत विकास कार्यों में समझौतों का प्रबंधन करते हुए सह-लाभों को अधिकतम करने की वकालत करना।
- **शासन, अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सिफारिश की गई है।**
- **स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप एकीकृत मार्गों को क्रियान्वित करने के लिए साझेदारी और सहयोग का आह्वान किया गया।**

एक महत्वपूर्ण वर्ष

- **2024 में दुनिया भर में कम से कम 64 देशों में चुनाव होंगे** ।
- ये देश विकसित और विकासशील दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इन चुनावों में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, यानि कुल 49%, भाग लेती है।
- नवनिर्वाचित सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे स्थिरता पर विचार करें और तदनुसार अपनी राष्ट्रीय नीतियों को समायोजित करें।
- सरकारों को अपने एजेंडे और नीतियों को आकार देते समय स्थिरता पर मुख्य ध्यान देना चाहिए।
- **राष्ट्रीय नीतियों को स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने से दीर्घकालिक पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कल्याण में योगदान मिल सकता है।**
- वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता के मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है।

4. **पर्यावरण प्रभाव आकलन:**
    - **ईआईए एक निर्णय लेने वाला उपकरण है, जो प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों जैसे विकास परियोजनाओं, जैसे कि बुनियादी ढांचे, राजमार्ग, रेलवे, खनन, जल विद्युत, आदि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले सभी प्रकार के प्रभावों का आकलन करता** है , जो हवा, पानी और मिट्टी के साथ-साथ मनुष्यों और अन्य जीवित जीवों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं।
    - **पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं** की सहायता से उन प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है ।
    - **ईआईए सतत विकास के सिद्धांत पर आधारित है,** जहां सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
    - **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन या ईआईए वह प्रक्रिया या अध्ययन है जो**
        - प्रस्तावित औद्योगिक/बुनियादी ढांचागत परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्वानुमान।
        - प्रस्तावित गतिविधि/परियोजना को उचित निरीक्षण के बिना या प्रतिकूल परिणामों को ध्यान में रखे बिना अनुमोदित होने से रोकता है
        - किसी परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करता है और
        - इसका उद्देश्य उस विकल्प की पहचान करना है जो आर्थिक और पर्यावरणीय लागतों और लाभों का सर्वोत्तम संयोजन दर्शाता है।
    - **मौजूदा 2006 कानून के तहत परियोजनाओं को ए और बी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है** ।
    - की सभी परियोजनाओं को **ईआईए की प्रक्रिया से गुजरना होगा** ।
    - **श्रेणी बी परियोजनाओं को** उनके दायरे और संभावित प्रभाव के आधार पर आगे बी1 और बी2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
    - **केवल बी2 के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को इस जटिल प्रक्रिया से छूट दी गई है।**
    - **ईआईए के चरण:**

Patriotic IAS (MAY)

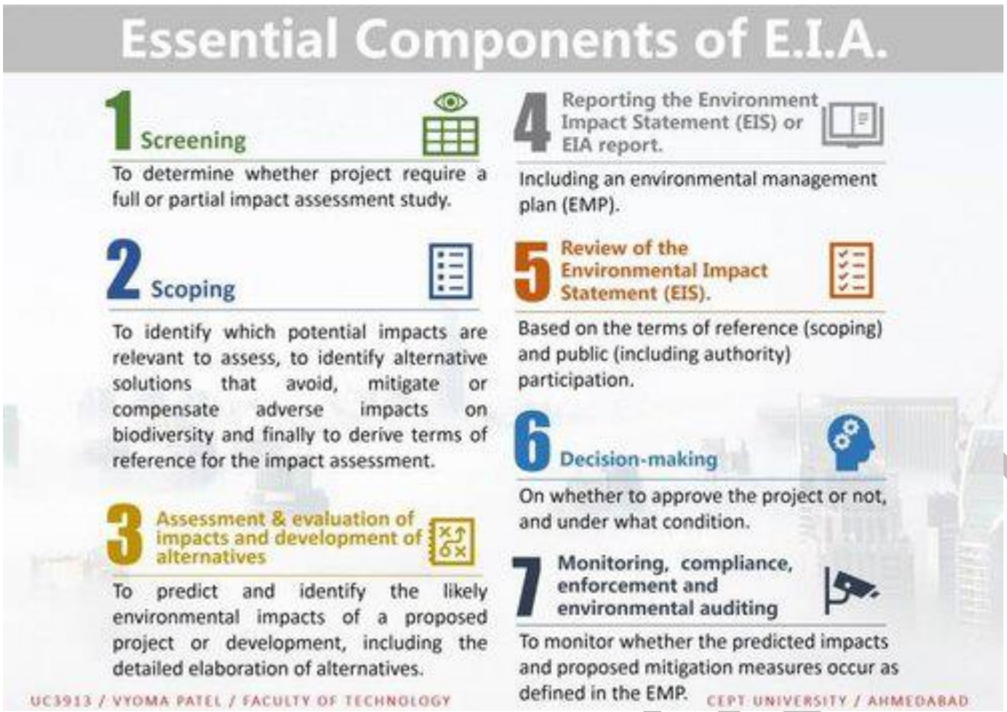

- **स्क्रीनिंग:**
- परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- श्रेणी ए: इसमें जलविद्युत परियोजनाओं जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। ऐसी सभी परियोजनाओं को केंद्रीय ईआईए प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी जाती है। यह प्राधिकरण MoEFCC के अधीन है।
- श्रेणी बी: इसमें छोटी परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे- टेनरी, रासायनिक कारखाने आदि।
- श्रेणी बी को आगे बी1 और बी2 में विभाजित किया गया है। बी1 परियोजनाओं के लिए ईआईए अध्ययन अनिवार्य है। बी2 के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को ईआईए अध्ययन से छूट दी गई है।
- सभी श्रेणी बी परियोजनाओं को राज्य ईआईए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह प्राधिकरण MoEFCC के अधीन है। **केवल श्रेणी बी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग की आवश्यकता है** ।
- **स्कोपिंग:**
- प्रस्तावित परियोजना के लिए विस्तृत संदर्भ अवधि निर्धारित की गई है। ईआईए अध्ययन का दायरा निर्धारित किया गया है। संदर्भ अवधि (टीओआर) के आधार पर, एक प्रारंभिक अध्ययन किया जाएगा और एक ईआईए रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- यह रिपोर्ट किसी तीसरे पक्ष के EIA सलाहकार द्वारा तैयार की जाएगी। तीसरे पक्ष के EIA सलाहकार को परियोजना डेवलपर द्वारा भुगतान किया जाता है। ये EIA सलाहकार इस काम को करने के लिए प्रमाणित हैं। प्रमाणन MoEFCC द्वारा दिया जाता है।
- **सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई:**
- ईआईए रिपोर्ट पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसे परियोजना डेवलपर की ओर से परामर्शदाता द्वारा तैयार किया जाता है।
- यहाँ परियोजना से प्रभावित स्थानीय समुदायों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक परामर्श के स्थान और समय का विज्ञापन होता है और यह जिला प्रशासन द्वारा दिया जाता है।
- यह जन सुनवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/या यूटी के मामले में सीपीसीबी की देखरेख में आयोजित की जाती है। सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग, भाग लेने वाले लोगों की लिखित राय के साथ, संबंधित प्राधिकरण द्वारा अंतिम समीक्षा के लिए ली जाती है। कुछ परियोजनाओं को जन सुनवाई से छूट दी गई है।

- **मूल्यांकन:**
- इसमें सार्वजनिक सुनवाई के सभी दस्तावेजों के साथ-साथ ईआईए रिपोर्ट की समीक्षा शामिल है। ईएसी की मंजूरी के आधार पर परियोजना को या तो मंजूरी दी जाती है या फिर खारिज कर दिया जाता है।
- जब परियोजना स्वीकृत हो जाती है, तो **परियोजना को स्वीकृति के 2 वर्ष के भीतर शुरू करना होगा** । अन्यथा, स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई जानी चाहिए।

5. अन्य संक्षिप्त समाचार:

5.1 प्लास्टिक संधि:

- **आज नैरोबी में** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-5) में **प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने** और **2024 तक** एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बनाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव का समर्थन किया।
- कार्यकर्ता और पर्यावरणवादी समूह कनाडा के ओटावा में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता के परिणाम से निराश हैं।
- अगली बैठक, जो अंतिम बैठक मानी जा रही है, नवंबर **2024 में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित की जाएगी।**
- **भारत का रुख - भारत ने प्राथमिक प्लास्टिक** पॉलिमरों पर प्रतिबंधों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उत्पादन में कटौती UNEA प्रस्तावों के दायरे से बाहर है।
- भारत ने प्लास्टिक निर्माण में प्रयुक्त रसायनों को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इनमें से कुछ पहले से ही प्रतिबन्ध या विनियमन के अधीन हैं।

प्लास्टिक उत्पादन, प्रभाव आदि के बारे में तथ्य।
- प्लास्टिक उत्पादन - 1950 में 2 मिलियन टन से 2017 में 380 मिलियन टन तक तथा 2040 तक दोगुना होने की उम्मीद है।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव – प्रजनन क्षमता, हार्मोनल, चयापचय और तंत्रिका संबंधी गतिविधि।
- 2050 तक प्लास्टिक से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का 15% होगा।
- 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में प्रवाहित होता है, यह 2040 तक तीन गुना हो सकता है।
- प्लास्टिक प्रदूषण से 800 से अधिक समुद्री और तटीय प्रजातियाँ प्रभावित हैं।

5 .2 जून तक पशु संरक्षण विधेयक की मांग:

- **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए) (1960)** भारत का प्राथमिक कानून है जो पशुओं के प्रति क्रूरता को अपराध मानता है।
- 1954 में, **रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने** पुराने पीसीए अधिनियम (1890) को एक नए कानून से बदलने की वकालत की।
- अरुंडेल ने इस अवधारणा पर अपने सांस्कृतिक जोर के कारण अहिंसा का अभ्यास करने में उदाहरण प्रस्तुत करने की भारत की जिम्मेदारी पर बल दिया।
- वर्तमान पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम में कई कमियां हैं जो इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं।

Patriot IAS (MAY)

5.3 . <u>विदेशी प्रजातियाँ:</u>

- विदेशी प्रजातियाँ वे **विदेशी प्रजातियाँ हैं** जिन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे **आक्रामक प्रजातियाँ, गैर-देशी प्रजातियाँ या जैव आक्रमणकारी** , जैसे -
- **अकेशिया मेर्न्सी** (काला वेटल), युकेलिप्टस, और **वेस्ट इंडियन लैंटाना** (कोंगिनी)।

5.4. <u>मालधारी पशुपालक: झुंड के संरक्षक:</u>

- मालधारी पशुपालकों का एक अनोखा समुदाय है जो मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, भारत में पाया जाता है।

Patriotic IAS (MAY)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) के पीछे के विज्ञान को समझना:

- चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) एक गैर-आक्रामक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग मानव शरीर के अंदर देखने के लिए किया जाता है।
- एमआरआई की अंतर्निहित तकनीकें 1970 के दशक के प्रारंभ में विकसित की गयी थीं।
- **पॉल लॉटरबर और पीटर मैन्सफील्ड ने** 1970 के दशक के अंत में इन तकनीकों को और परिष्कृत किया, जिससे वे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो गईं।
- एमआरआई में उनके योगदान के लिए उन्हें **2003 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला।**
- आधुनिक चिकित्सा निदान में एमआरआई एक अपरिहार्य उपकरण बन गया है, जिससे **सर्जरी की आवश्यकता के बिना शरीर की आंतरिक संरचनाओं की विस्तृत इमेजिंग संभव हो गई है।**

चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग क्या है?

- चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) एक नैदानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग **शरीर में कोमल ऊतकों के चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है।**
- **नरम ऊतक वे हैं जो कैल्शिफिकेशन के कारण कठोर नहीं हुए हैं।**
- एमआरआई गैर-आक्रामक है और इसका व्यापक रूप से **शरीर के विभिन्न भागों** , जैसे **मस्तिष्क, हृदय प्रणाली, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों, मांसपेशियों, यकृत और धमनियों के चित्र लेने के लिए उपयोग किया जाता है।**
- यह प्रोस्टेट और मलाशय कैंसर जैसे कुछ कैंसरों के निदान और उपचार में तथा **अल्जाइमर, मनोभ्रंश, मिर्गी और स्ट्रोक जैसी तंत्रिका संबंधी स्थितियों का पता लगाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।**
- शोधकर्ता **मस्तिष्क की गतिविधि को समझने के लिए रक्त प्रवाह में परिवर्तन का अध्ययन करने हेतु एमआरआई का भी उपयोग करते हैं, इस विधि को कार्यात्मक एमआरआई के रूप में जाना जाता है।**
- हालांकि, जिन व्यक्तियों के शरीर में धातु की वस्तुएं या प्रत्यारोपण (जैसे छर्रे या पेसमेकर) लगे हों, वे **प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण एमआरआई स्कैन नहीं करवा पाएंगे।**
- यहां तक कि एमआरआई के दौरान जेब में चुंबकीय पट्टी वाला क्रेडिट कार्ड रखने पर भी **चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह साफ हो सकता है।**

एमआरआई कैसे काम करता है?

- एमआरआई प्रक्रिया शरीर के **अंगों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग करके उनके चित्र बनाती है।**
- हाइड्रोजन परमाणु **में एक प्रोटॉन होता है जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है** ।
- ये परमाणु वसा और पानी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर में पाए जाते हैं।
- एमआरआई मशीन में चार आवश्यक घटक होते हैं, जो एक विशाल डोनट के समान दिखते हैं।
- **केंद्रीय छेद, जिसे बोर कहा जाता है, वह स्थान है जहां स्कैन किए जाने वाले व्यक्ति को डाला जाता है।**
- डोनट के अंदर एक शक्तिशाली अतिचालक चुम्बक होता है जो शरीर के चारों ओर एक मजबूत और स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
- जब स्कैन किए जाने वाले शरीर के अंग को बोर के केंद्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय हो जाता है।

PatrioticIAS(MAY)

- चुंबकीय **क्षेत्र शरीर के अंग में हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पिन अक्षों को अपनी दिशा के अनुरूप संरेखित करता है।**
- परमाणुओं की एक छोटी आबादी बेजोड़ रह सकती है, जो अलग-अलग दिशाओं की ओर इशारा करती है।
- एक उपकरण स्कैन किए गए क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति स्पंद उत्सर्जित करता है, जिससे अतिरिक्त परमाणु विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं।
- जब स्पंदन समाप्त हो जाता है, तो ये परमाणु अवशोषित ऊर्जा को छोड़ देते हैं और अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं।
- अतिरिक्त परमाणुओं द्वारा अवशोषित स्पंद की आवृत्ति को लार्मोर आवृत्ति कहा जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और ऊतक के प्रकार द्वारा निर्धारित होती है।
- एक डिटेक्टर उत्सर्जित संकेतों को प्राप्त करता है और उन्हें कंप्यूटर को भेजता है, जो शरीर के अंग की दो- या तीन-आयामी छवियों का पुनर्निर्माण करता है।

एमआरआई के क्या लाभ हैं?

- **एमआरआई मशीन में मुख्य चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय होने के बाद, तीन छोटे चुम्बक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो मुख्य क्षेत्र से लगभग 80 गुना कमजोर होता है।**
- **इन छोटे क्षेत्रों में ढाल होते हैं, अर्थात वे एक समान नहीं होते, जिससे स्कैन किए जाने वाले शरीर के विशिष्ट भागों को उजागर करने में मदद मिलती है।**
- ग्रेडिएंट चुम्बकों को विशिष्ट क्रम में चालू और बंद करके, एमआरआई मशीन कुछ मिलीमीटर चौड़ाई वाले संकीर्ण भागों को भी स्कैन कर सकती है, तथा इसके लिए व्यक्ति को मशीन के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती।
- यह मशीन शरीर के विभिन्न भागों को स्कैन कर सकती है, इसके लिए स्कैन किए जाने वाले व्यक्ति को अपना स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं होती।
- एमआरआई स्कैन मशीन के डिजाइन और चुंबकीय संगठन के कारण व्यावहारिक रूप से शरीर का विभिन्न उपयोगी दिशाओं से और बहुत छोटे अंतराल में चित्रण कर सकता है।
- जब अतिरिक्त परमाणु अवशोषित ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं

एमआरआई के नुकसान क्या हैं?

- एमआरआई मशीनें महंगी होती हैं, जिनकी कीमत चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और इमेजिंग गुणवत्ता जैसी विशिष्टताओं के आधार पर कुछ दसियों लाख से लेकर कई करोड़ तक होती है।
- डायग्नोस्टिक सुविधाएं इन लागतों को मरीजों पर डाल देती हैं, जिससे एमआरआई स्कैन महंगा हो जाता है, जिसकी कीमत अक्सर 10,000 रुपये या उससे अधिक होती है।
- मरीजों को कई एमआरआई स्कैन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे वित्तीय बोझ और बढ़ सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास बीमा नहीं है।
- एमआरआई स्कैन के दौरान मरीजों को स्थिर रहना चाहिए, जो दसियों मिनट तक चल सकता है। कोई भी हरकत छवि को विकृत कर सकती है और दोबारा स्कैन की आवश्यकता हो सकती है।
- क्लॉस्ट्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्तियों को एमआरआई मशीन का सीमित स्थान असुविधाजनक लग सकता है, हालांकि कुछ "ओपन-बोर" एमआरआई डिजाइन इस समस्या को कम कर सकते हैं।
- **एमआरआई मशीनें तरल हीलियम से ठण्डी की गई अतिचालक तार कुंडलियों का उपयोग करके कम से कम 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं।**

Patriotic IAS (MAY)

- अतिचालक सेटअप को बनाए रखना ऊर्जा-गहन और महंगा है।
- मशीन के अंदर, विशेष रूप से ग्रेडिएंट कॉइल्स में, भारी धाराओं के स्विचिंग से संचालन के दौरान तेज आवाज उत्पन्न होती है, जो रोगियों के लिए असुविधाजनक हो सकती है।

2. मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) पर न्यायपालिका का साया

- **'मानक आवश्यक पेटेंट' (एसईपी)** के उपयोग के संबंध में संभावित संकट का सामना कर रहा है ।
- ये पेटेंट दूरसंचार जैसे उद्योगों द्वारा "मानकों" के रूप में अपनाई गई प्रौद्योगिकियों को कवर करते हैं।
- ऐसे मानकों के **उदाहरणों में** दूरसंचार क्षेत्र में **सीडीएमए, जीएसएम और एलटीई शामिल हैं।**
- मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न ब्रांड के सेल्युलर फोन एक साथ काम कर सकें।
- उदाहरण के लिए, **जब GSM मानक बन गया तो** सभी फोन निर्माताओं को अपने हैंडसेट को GSM के अनुकूल बनाना पड़ा।
- यह मुद्दा सेलुलर फोन के लिए **घरेलू विनिर्माण उद्योग बनाने के भारत के प्रयासों को प्रभावित करता है ।**
- विनियमन **काफी हद तक न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया है** , लेकिन उन्होंने समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं किया है।

सीडीएमए (कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस)

- **प्रौद्योगिकी:** स्प्रेड स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी पर आधारित , जहां कई उपयोगकर्ता अपने संकेतों को अलग करने के लिए अद्वितीय कोड का उपयोग करके समान आवृत्ति बैंड साझा करते हैं।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - कोड-आधारित सिग्नल पृथक्करण के कारण कॉल की गुणवत्ता और सुरक्षा में वृद्धि।
    - ऐतिहासिक रूप से वेरिज़ोन और स्प्रिंट (अमेरिका में) जैसे वाहकों द्वारा पेश किए गए नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है।
- **स्थिति:** हालांकि अभी भी कुछ पुराने नेटवर्कों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन सीडीएमए को मुख्य रूप से 2जी और 3जी प्रौद्योगिकी माना जाता है तथा इसे बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है, क्योंकि वाहक कंपनियां 4जी और 5जी प्रौद्योगिकियों में अपग्रेड कर रही हैं।

जीएसएम (मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली)

- **प्रौद्योगिकी:** टीडीएमए (टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस) पर आधारित , जहां उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति साझा करते हैं लेकिन उन्हें ट्रांसमिशन के लिए अलग-अलग टाइमस्लॉट आवंटित किए जाते हैं ।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - व्यापक वैश्विक अपनाव, विशेष रूप से यूरोप में।
    - उपकरणों के बीच आसान अदला-बदली के लिए सिम (सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल) कार्ड का उपयोग।
    - 2G और प्रारंभिक 3G नेटवर्क के लिए आधार।
- **स्थिति:** CDMA की तरह ही GSM भी एक विरासती तकनीक है। कई पुराने फोन GSM नेटवर्क को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब LTE और 5G ने इसे तेजी से बदल दिया है।

एलटीई (दीर्घकालिक विकास)

- **प्रौद्योगिकी:** वास्तविक 4G प्रौद्योगिकी के रूप में डिजाइन किया गया, जिसमें कुशल डेटा संचरण के लिए OFDMA (ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस) और SC-FDMA (सिंगल-कैरियर FDMA) का उपयोग किया गया है।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - सीडीएमए और जीएसएम की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च गति और कम विलंबता (प्रतिक्रिया समय)।
    - बेहतर आवाज की गुणवत्ता के लिए वॉयस ओवर LTE (VoLTE) का समर्थन।
    - विश्व भर में आधुनिक 4G नेटवर्क की रीढ़।
- **स्थिति:** LTE वैश्विक स्तर पर प्रमुख सेलुलर तकनीक है। जबकि 5G में अपग्रेड जारी है, LTE बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय बना हुआ है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

महत्वपूर्ण लेख:

- **बदलता परिदृश्य:** आजकल अधिकांश फोन LTE और 5G अनुकूलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे स्टैंडअलोन CDMA और GSM क्षमताएं कम होती जा रही हैं।

वाहक अंतर: अतीत में विशिष्ट CDMA/GSM वाहक नेटवर्क धीरे-धीरे LTE की ओर स्थानांतरित हो गए, जिससे कभी-कभी उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोन की पसंद प्रभावित हुई ।

3. <u>अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और खोजें:</u>

3.1 बोइंग स्टारलाइनर क्या है?

- स्टारलाइनर एक अंतरिक्ष यान है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है।
- **स्टारलाइनर में दो मुख्य भाग होते हैं** : क्रू कैप्सूल और सर्विस मॉड्यूल।
- क्रू **कैप्सूल वह स्थान है जहां अंतरिक्ष यात्री यात्रा के दौरान रहते हैं** और पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए पुनः प्रवेश कर सकते हैं।
- सेवा **मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रणालियाँ शामिल हैं, जैसे वायु और तापमान नियंत्रण, जल आपूर्ति और स्वच्छता** ।

स्टारलाइनर का उद्देश्य क्या है?

- नासा से अनुबंध मिलने के बाद से, स्पेसएक्स ने अपने ड्रैगन क्रू कैप्सूल का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए 13 मिशन संचालित किए हैं।
- ड्रैगन **क्रू कैप्सूल में सात अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं** ।
- यह मानते हुए कि स्टारलाइनर की चालक दल परीक्षण उड़ान सफल रही, स्पेसएक्स और बोइंग बारी-बारी से अंतरिक्ष यात्रियों को आई.एस.एस. पर भेजेंगे।
- प्रत्येक चालक दल का आई.एस.एस. अभियान छह महीने तक चलता है।
- यह व्यवस्था अगले दशक में आई.एस.एस. के बंद हो जाने तक जारी रहेगी।
- **स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल 2020 में चालू हो गया, रूस का सोयुज रॉकेट और कैप्सूल** अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक लाने और ले जाने का एकमात्र साधन था।
- **2011 में अपना अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम** बंद कर दिया था , जिससे ड्रैगन और स्टारलाइनर जैसे वाणिज्यिक चालक वाहन उपलब्ध होने तक अंतराल बना रहा।

<u>3.2 इसरो को चंद्रमा के ध्रुवीय क्रेटरों में पानी की बर्फ की संभावना बढ़ने के सबूत मिले</u> :

- इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एसएसी) सहित भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आईआईटी कानपुर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला और आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के शोधकर्ताओं के साथ सहयोग किया।
- उनके अध्ययन में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बताते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में **पानी की बर्फ बनने की संभावना बढ़ गई है ।**
- पहले कुछ मीटर के भीतर उप-सतह बर्फ की मात्रा **दोनों चंद्र ध्रुवों की सतह की बर्फ से पांच से आठ गुना अधिक होने का अनुमान है** ।
- नमूना लेने या उत्खनन के लिए चंद्रमा पर बर्फ की ड्रिलिंग करना, भविष्य के मिशनों और निरंतर मानवीय उपस्थिति के लिए आवश्यक माना जाता है।
- अध्ययन से पता चलता है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में लगभग दोगुनी मात्रा में जल बर्फ है।
- यह इस परिकल्पना की पुष्टि करता है कि चंद्र ध्रुवों में सतह के नीचे मौजूद जल बर्फ की उत्पत्ति, उम्ब्रियन काल में ज्वालामुखीय हलचल के दौरान निकली गैसों से हुई है।
- जल बर्फ का वितरण मैरे ज्वालामुखीयता और अधिमान्य प्रभाव क्रेटरिंग से प्रभावित होता है।

PatrioticIAS (MAY)

- चंद्र ध्रुवों पर जल बर्फ वितरण और गहराई का सटीक ज्ञान, चंद्र वाष्पशील पदार्थों की खोज करने वाले मिशनों के लिए भविष्य में लैंडिंग और नमूनाकरण स्थलों के चयन के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह अध्ययन चंद्रमा पर अस्थिर अन्वेषण के लिए इसरो की भविष्य की योजनाओं का समर्थन करता है।

4. अन्य संक्षिप्त समाचार:

4.1 फोल्ड और दोष: अल्फा फोल्ड 3 पर:

- प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक अणु हैं, लेकिन इनका गलत तरीके से एकत्र होना बीमारियों का कारण बन सकता है।
- प्रोटीन-फोल्डिंग समस्या, जो जीव विज्ञान में एक रहस्य है, यह बताती है कि प्रोटीन किस प्रकार विशिष्ट आकार में मुड़ते हैं।
- **गूगल की सहायक कंपनी डीपमाइंड ने 2018 में प्रोटीन के आकार की भविष्यवाणी करने के लिए एक एआई टूल अल्फाफोल्ड विकसित किया और बाद में अल्फाफोल्ड 2 पेश किया।**
- **नवीनतम संस्करण, अल्फाफोल्ड 3, प्रोटीन के आकार की भविष्यवाणी करने के साथ-साथ डीएनए, आरएनए, लिगैंड्स और संशोधनों के मॉडलिंग में लगभग 80% सटीकता का दावा करता है।**
- यद्यपि अल्फाफोल्ड क्रांतिकारी है, लेकिन यह यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि प्रोटीन एक निश्चित तरीके से क्यों मुड़ते हैं, इसलिए यह कार्य मानव वैज्ञानिकों पर छोड़ दिया गया है।
- दवा की खोज पर अल्फाफोल्ड का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि यह मानव नैदानिक परीक्षणों में सफलता की गारंटी नहीं देता है।
- अल्फाफोल्ड 3 तक पहुंच सीमित है, और इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जिससे पारदर्शिता और पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
- डीपमाइंड को स्वास्थ्य सेवा में इसके महत्व और इसके विकास के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान पर निर्भरता को देखते हुए, अल्फाफोल्ड 3 तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक राजस्व मॉडल पर विचार करना चाहिए।

4.2. केरल में वेस्ट नाइल बुखार का मामला:

- **डब्ल्यूएनएफ एक मच्छर जनित बीमारी है जो वेस्ट नाइल वायरस (डब्ल्यूएनवी**) के कारण होती है। यह वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
- **संचरण:** संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है
- **लक्षण:**
  - 80% संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते।
  - संक्रमित लोगों में से 20% में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, दस्त या चकत्ते जैसे फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
- संक्रमित लोगों में से 1% से भी कम लोगों में केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी विकसित होती है, जिसमें तेज बुखार, सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, मूर्च्छा, भटकाव, कोमा, कम्पन, ऐंठन, मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टि हानि, सुन्नता और पक्षाघात शामिल हो सकते हैं।
- **उपचार:** वेस्ट नाइल बुखार के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन सहायक देखभाल लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है।
- **रोकथाम:** वेस्ट नाइल बुखार को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है। मच्छर के काटने से बचाव ही आपके जोखिम को कम करने की कुंजी है।

4.3. भारतीय पेटेंट अधिनियम और इसकी चुनौतियाँ

PatrioticIAS(MAY)

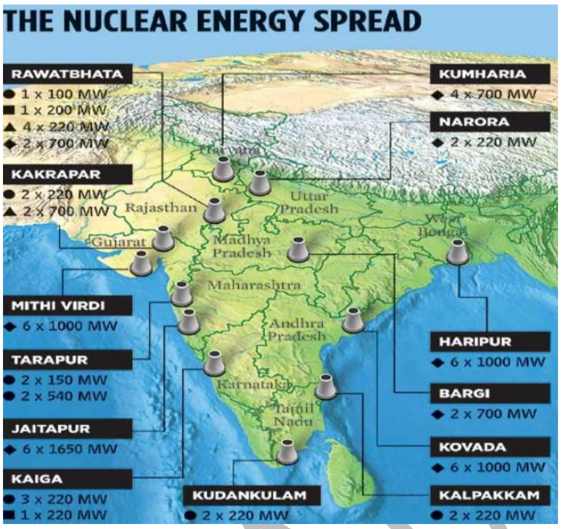

- **धारा 3(डी):** भारतीय पेटेंट अधिनियम में इस प्रावधान की सराहना फार्मास्यूटिकल पेटेंटों के "**सदाबहार" होने को रोकने के लिए की गई है** , लेकिन फार्मास्यूटिकल औषधि के लिए सख्त पेटेंट योग्यता मानक निर्धारित करने के लिए इसकी आलोचना भी हुई है।
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग: भारत में** सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग (**कुछ परिस्थितियों में पेटेंट धारक की सहमति के बिना जेनेरिक उत्पादन की अनुमति**) के प्रावधान हैं । नवाचार प्रोत्साहनों के साथ इसे संतुलित करना एक सतत बहस है।
- **प्रवर्तन:** पेटेंट अधिकारों के प्रवर्तन में चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें उल्लंघन और जालसाजी जैसे मुद्दे शामिल हैं।

4.4 . <u>परमाणु ऊर्जा</u>

- **जैतापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र**
- **स्थान:** माडबन गांव, रत्नागिरी जिला, महाराष्ट्र, भारत।
- **संचालक:** भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड **(एनपीसीआईएल),** एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी।
- **प्रौद्योगिकी साझेदार:** इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस **(EDF),** एक फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी।
- **क्षमता** - यूरोपीय दबावयुक्त रिएक्टर **(ईपीआर) जिनकी संयुक्त क्षमता 9,900 मेगावाट है** ।

Patriotic IAS (MA

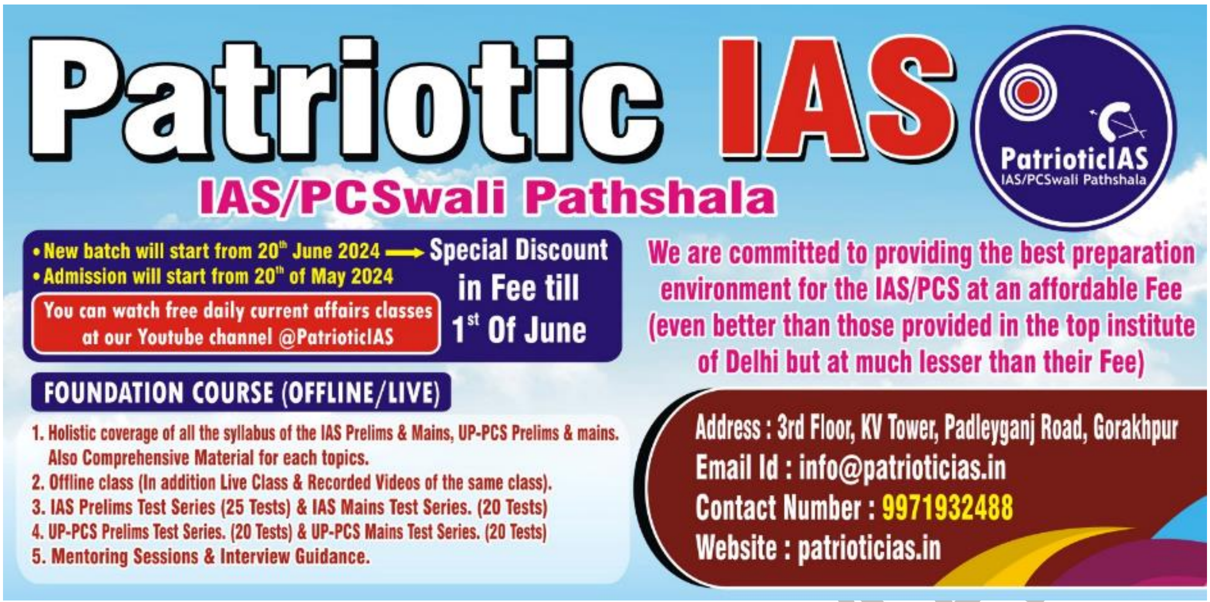

Patriotic IAS (MA

आंतरिक सुरक्षा

1. **भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय:**
   - प्राचीन यूनानी विचारक थ्यूसीडाइड्स ने कहा था कि जो राष्ट्र अपने विद्वानों को अपने योद्धाओं से अलग कर देगा, उसका चिंतन कायरों द्वारा तथा युद्ध मूर्खों द्वारा किया जाएगा।
   - यह उद्धरण **सैन्य संस्थानों में अकादमिक कठोरता और रणनीतिक सोच को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देता है।**
   - पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के पड़ोसी देशों सहित कई देशों ने अपने सशस्त्र बलों में शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं।
   - पाकिस्तान में कथित तौर पर उसके सशस्त्र बलों को समर्पित दो विश्वविद्यालय हैं, जबकि चीन में तीन हैं, तथा चीन में 60 से अधिक अन्य विश्वविद्यालय सैन्य और सुरक्षा से जुड़े हैं।
   - हालाँकि, भारत में एक समर्पित रक्षा विश्वविद्यालय का अभाव है, जबकि इसकी आवश्यकता काफी समय से है।
   - **भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) की अनुपस्थिति देश की सशस्त्र सेनाओं के भीतर रणनीतिक सोच और शैक्षणिक दृढ़ता को बढ़ाने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करती है।**

व्यावसायिक सैन्य शिक्षा

- प्रकृति **स्थिर रहती है, लेकिन इसका चरित्र लगातार बदलता रहता है** , जिसके कारण सैन्य शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।
- सैन्य अधिकारियों को वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अकादमिक तैयारी की आवश्यकता है, विशेष रूप से यूरोप और पश्चिम एशिया जैसे गतिशील और अराजक वातावरण में।
- अनिश्चित प्रारंभिक जानकारी और तेजी से बदलती परिस्थितियों के बावजूद सैन्य अधिकारियों से परिणाम देने की अपेक्षा की जाती है।
- एक अच्छी तरह से निर्मित **व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (पीएमई)** निरंतरता अधिकारियों को उनके पूरे करियर में जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बनाती है।
- अमेरिका में पीएमई का विकास भारत के रंगमंचीकरण के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है।
- अमेरिका में 1986 के गोल्डवाटर-निकोल्स रक्षा पुनर्गठन अधिनियम ने महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार लाए ।
- 'आइक' स्केल्टन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिकी सशस्त्र बलों में सैन्य शिक्षा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- स्केल्टन की रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा शैक्षिक संस्थानों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने, संकाय की गुणवत्ता बढ़ाने, संयुक्त अधिकारी शिक्षा के लिए दो-चरणीय प्रणाली स्थापित करने और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान बनाने की सिफारिश की गई थी।

धीमी प्रगति

- **भारत में रक्षा सेवा विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार पहली बार 1967 में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा प्रस्तावित किया गया था।**
- **1982 में** एक अध्ययन समूह ने सशस्त्र बलों के लिए एक सर्वोच्च शैक्षिक निकाय की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) की अवधारणा सामने आई।
- **कारगिल संघर्ष के बाद, आईडीयू की स्थापना की जांच के लिए डॉ. के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।**

Patriotic IAS (MAY)

- समिति की सिफारिशों के आधार पर मई 2010 में **गुड़गांव में आईडीयू की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी गई।**
- प्रारंभिक आशावाद के बावजूद, आईडीयू की स्थापना की प्रगति धीमी रही है।
- **भारत के सशस्त्र बलों में कई विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान हैं, लेकिन उनमें** एकीकृत व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (पीएमई) ढांचे का अभाव है।
- डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों से संबद्धता को सशस्त्र बलों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए इष्टतम समाधान के रूप में नहीं देखा जाता है।
- आईडीयू **का उद्देश्य शिक्षाविदों और सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों से युक्त योग्य संकाय के साथ उच्च सैन्य शिक्षा का एक केंद्रीय संस्थान प्रदान करके इन कमियों को दूर करना है।**
- विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करेगा, जिसमें सिद्धांत को व्यवहार के साथ एकीकृत किया जाएगा।**
- आईडीयू के प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न कॉलेज और संस्थान रक्षा और सुरक्षा से संबंधित विज्ञान और मानविकी में विविध विषयों की पेशकश करेंगे।

एक ख़्याल जिसका समय आ गया है

- भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) की स्थापना लंबे समय से लंबित होने के बावजूद इसमें देरी हो रही है।
- कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि **गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू)** आईडीयू की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। हालाँकि, यह तर्क त्रुटिपूर्ण है।
- आईडीयू और आरआरयू के बीच तुलना सेब और संतरे की तुलना करने जैसी है, क्योंकि उनके उद्देश्य और पाठ्यक्रम काफी भिन्न हैं।
- आरआरयू **अधिनियम अपने उद्देश्यों में 'रक्षा' से संबंधित शिक्षा को निर्दिष्ट नहीं करता है, और इसका पाठ्यक्रम केवल युद्ध प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सैन्य आवश्यकताओं पर केंद्रित नहीं है।**
- आईडीयू के चालू होने में देरी से रक्षा तैयारी, रणनीतिक संस्कृति और अंतर-सेवा एकीकरण पर असर पड़ता है।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस अध्ययन और अपराध प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। आधिकारिक स्रोतों के आधार पर इसकी प्रमुख विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है:

- **स्थापना:** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के माध्यम से 2020 में स्थापित
- **स्थान:** गांधीनगर, गुजरात, भारत
- **विजन और मिशन: विजन:** राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस अध्ययन और अपराध प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र बनना।
- **मिशन:** राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अत्यधिक कुशल और पेशेवर मानव संसाधन विकसित करने हेतु विश्व स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना।

शैक्षणिक:

- निम्नलिखित से संबंधित विभिन्न विशेषज्ञताओं में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है:
    - पुलिस प्रशासन
    - अपराध विज्ञान और आपराधिक न्याय
    - साइबर सुरक्षा
    - फोरेंसिक विज्ञान
    - आंतरिक सुरक्षा
    - आपदा प्रबंधन

- कानूनी अध्ययन (सुरक्षा कानून पर ध्यान केंद्रित)

महत्व:

- भारत में प्रथम विश्वविद्यालय जो पूर्णतः पुलिस और सुरक्षा अध्ययन के लिए समर्पित है।
- समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतःविषयक शिक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है।
- परिदृश्यों से परिचय कराकर सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है ।

2. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002

- भारत ने अपना कानून बनाने के लिए FATF की सिफारिशों का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप **2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) बना।**
- PMLA का लक्ष्य मुख्य रूप से मादक पदार्थों से प्राप्त धन का शोधन करना था, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और एफएटीएफ की सिफारिशों पर केन्द्रित था।
- इस **अधिनियम में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उल्लिखित अपराध शामिल थे।**
- PMLA **समय के साथ संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ, तथा इसका मूल उद्देश्य मादक पदार्थों के धन शोधन से अलग हो गया।**
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) का लक्ष्य "अपराध आय" का शोधन करना है, जिसमें आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन भी शामिल है।
- अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ बाद में धन शोधन प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों को भी इस कानून के अंतर्गत जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- हालाँकि, **अब PMLA की अनुसूची में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो इसके मूल उद्देश्य से परे है, तथा इसमें मादक पदार्थों के धन शोधन से असंबंधित अपराध भी शामिल हैं।**
- अपने विस्तारित दायरे के बावजूद, PMLA का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ व्यापार से अवैध धन के शोधन से उत्पन्न महत्वपूर्ण खतरे को संबोधित करना है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता हो सकता है।

PMLA का अधिनियमन

- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने की अनुमति देता है ।**
- **अनुच्छेद 253 ऐसे कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के विषय-वस्तु तक सीमित करता है, जैसा कि संविधान की संघ सूची की मद 13 में निर्दिष्ट है।**
- मूलतः, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार, PMLA का ध्यान मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित धन शोधन से निपटने पर केन्द्रित था।
- हालांकि, PMLA में संशोधन से इसका दायरा बढ़ गया है, जिसमें नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से परे अपराध भी शामिल हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सूचीबद्ध या विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराध।
- उदाहरण के लिए, **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों में भ्रष्टाचार को दूर करना है, को 2009 में PMLA की अनुसूची में जोड़ा गया था।**
- PMLA के तहत, **आरोपी व्यक्तियों को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वे निर्दोष साबित न हो जाएं** , जो एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है।

Patriotic IAS (MAY)

- **PMLA में जमानत प्रावधानों के कारण आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत प्राप्त करना कठिन हो जाता है,** क्योंकि न्यायाधीश केवल तभी जमानत दे सकते हैं जब उन्हें आरोपी की निर्दोषता का विश्वास हो, जिसके कारण आरोपी को बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।

जमानत का प्रावधान

- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45** के जमानत प्रावधान का वर्तमान भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ है।
- **इसे शुरू में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने असंवैधानिक माना था। निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2018) में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।**
- हालाँकि, संसद ने संशोधनों के साथ इस प्रावधान को तुरंत बहाल कर दिया **, जिसे बाद में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा। विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022)।**
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रावधान उचित है तथा PMLA अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य धन शोधन से निपटना तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाना है।
- अधिनियम के मूल उद्देश्य के बावजूद, इसमें कम गंभीर अपराधों को भी शामिल किया गया है, तथा इस निर्णय पर विधायी नीति के दायरे में विचार किया गया है।
- **PMLA मामलों में जमानत के लिए वर्तमान न्यायिक दृष्टिकोण को** तकनीकी माना जाता है, जो **1978 में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा** प्रतिपादित दृष्टिकोण से अलग है।
- न्यायमूर्ति अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और जमानत के निर्णयों के संबंध में न्यायिक शक्ति का सावधानीपूर्वक और न्यायिक प्रयोग करने का आग्रह किया।
- न्यायमूर्ति अय्यर से न्यायमूर्ति खानविलकर तक जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय के रुख का विकास एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है।

Patriotic IAS (MAY)

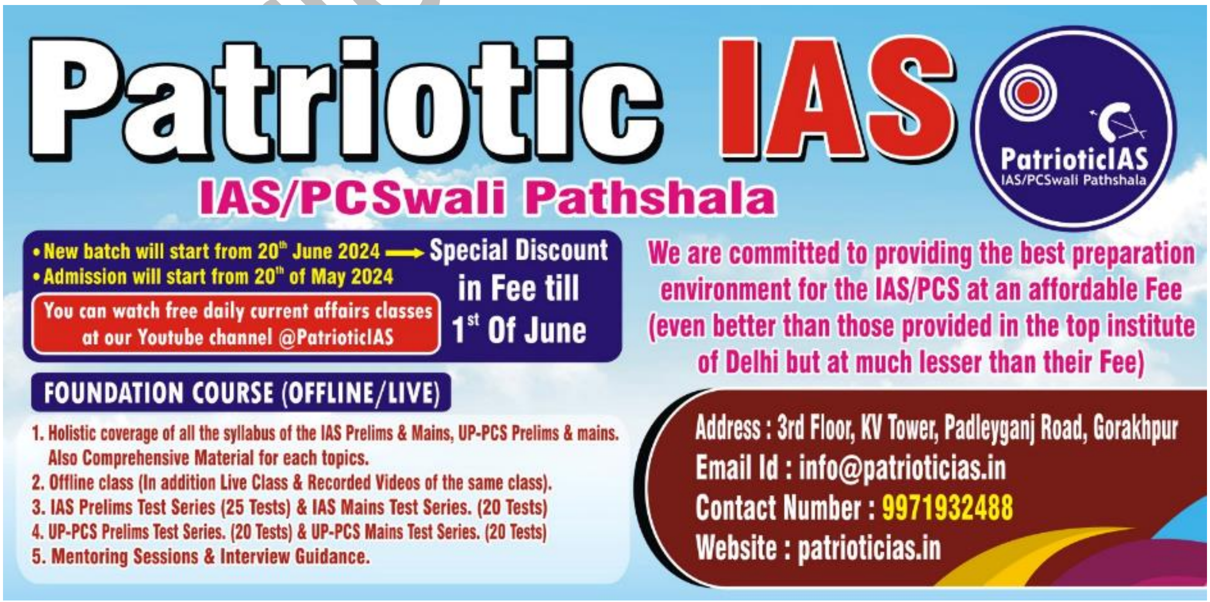

मिश्रित

1. वैजयंतीमाला, चिरंजीवी, होर्मुस्जी एन. कामा को पद्म पुरस्कार प्राप्त:

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली और कोनिडेला चिरंजीवी, दिवंगत एम. फातिमा बीवी (सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश) और मुंबई समाचार के मालिक होर्मुसजी एन. कामा शामिल थे।
- लद्दाख के आध्यात्मिक नेता तोगदान रिनपोछे और तमिल अभिनेता 'कैप्टन' विजयकांत को मरणोपरांत सम्मानित किया गया।
- भाजपा नेता ओ. राजगोपाल और गुजराती समाचार पत्र जन्मभूमि के समूह संपादक और सीईओ कुंदन व्यास को भी सम्मानित किया गया।
- सुश्री बाली और श्री चिरंजीवी को पद्म विभूषण, जबकि अन्य को पद्म भूषण प्रदान किया गया।
- कुछ पुरस्कार विजेताओं के परिवार के सदस्यों ने उनकी ओर से पुरस्कार प्राप्त किये।
- समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे।
- पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ अश्विन बालचंद मेहता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी शामिल थे।
- पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में भारत की पहली महिला हाथी महावत पार्वती बरुआ जैसी गुमनाम नायिकाएं शामिल थीं, जिन्हें "हस्ती कन्या" के नाम से जाना जाता था।

2. फिल्म निर्माता संगीथ सिवन का 65 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया ।

- उनकी फिल्म **"योद्धा" (1992)** को काफी सराहना मिली और इसे बार-बार देखा गया।
- "योद्धा" हॉलीवुड फिल्म "द गोल्डन चाइल्ड" से प्रभावित थी लेकिन इसमें मौलिक हास्य और यादगार अभिनय था।

3. **मेम्ब्रेनोफोन:** इन वाद्ययंत्रों में एक फैली हुई झिल्ली या ड्रमहेड होता है, जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है। मेम्ब्रेनोफोन के उदाहरणों में ड्रम, टिम्पनी, बोंगो और डीजेम्बे शामिल हैं।

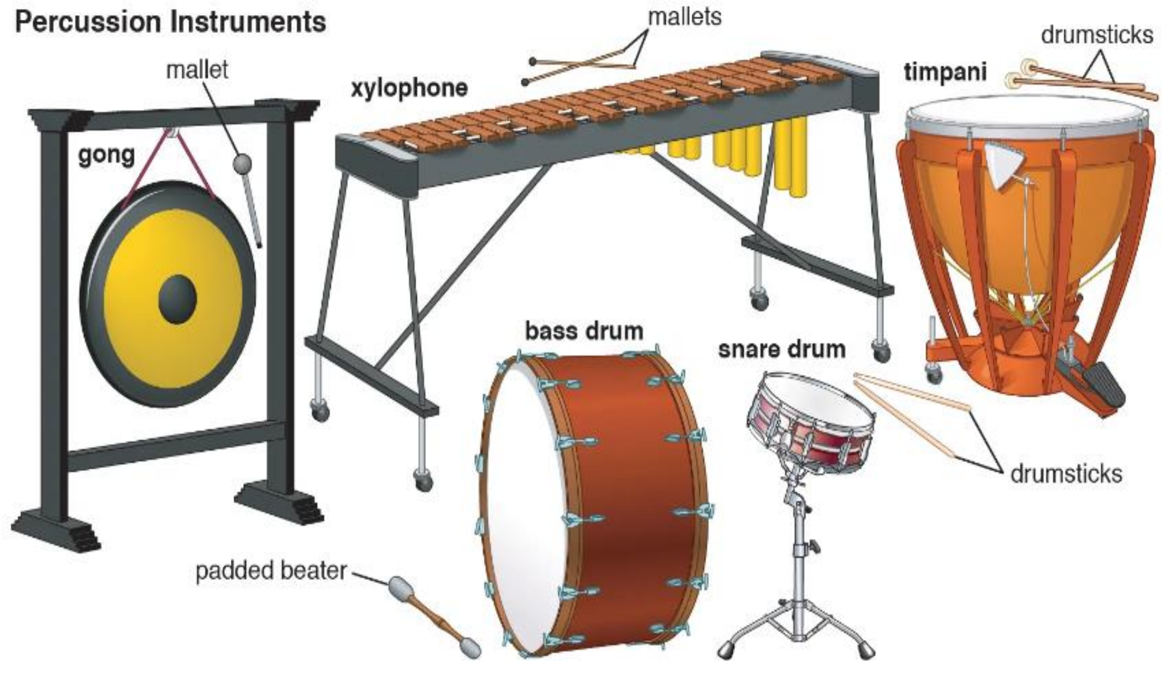

- **इडियोफोन:** ये वाद्य तब ध्वनि उत्पन्न करते हैं जब उनका पूरा शरीर कंपन करता है। इडियोफोन के उदाहरणों में झांझ, घंटियाँ, घड़ियाल, लकड़ी के ब्लॉक और त्रिकोण शामिल हैं।
  ताल वाद्यों को कई तरह से बजाया जा सकता है, जिसमें डंडियों, हथौड़ों, हाथों या पैरों से भी बजाया जा सकता है। इनका इस्तेमाल शास्त्रीय और जैज़ से लेकर रॉक और पॉप तक कई तरह की संगीत शैलियों में किया जाता है।
  ताल वाद्यों के बारे में कुछ अन्य रोचक तथ्य इस प्रकार हैं:
- शब्द "पर्क्यूशन" लैटिन शब्द "पर्क्यूटरे" से आया है, जिसका अर्थ है "प्रहार करना।"
- सबसे पुराने ज्ञात ताल वाद्य यंत्र ड्रम हैं, जो लगभग 6,000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक स्थलों में पाए गए हैं।
- ताल वाद्य यंत्र कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्सर धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों में इनका प्रयोग किया जाता है।
- सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के तालवाद्य खंड में आम तौर पर टिम्पनी, स्नेयर ड्रम, बेस ड्रम, झांझ और त्रिकोण शामिल होते हैं।
- तालवादक एक संगीतकार होता है जो तालवाद्य यंत्र बजाता है।

4. **<u>नियुक्तियाँ:</u>**
   - वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया।
   - वाइस एडमिरल स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 को नौसेना में शामिल हुए, उन्होंने संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञता हासिल की।

Patriotic IAS (MAY)